



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

पूरक अनुदान मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2023-2024

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसरण में संसद में प्रस्तुत।
राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) (क) और (2)
के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of
the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3)
of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution
for making the Demands has been obtained)

फरवरी, February, 2024

परिचायक टिप्पणी

विषय : पूरक अनुदान मांगों 2023-2024 का दूसरा बैच

वर्ष 2023-24 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 71 अनुदान मांगें और 1 विनियोग है। ₹2,00,299.54 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹78,672.92 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा, ₹1,21,625.40 करोड़ है। इसके अतिरिक्त नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹121 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2023-2024.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2023-24 includes 71 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,00,299.54 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹78,672.92 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,21,625.40 crore. Besides, token provision of ₹122 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE			
1 कृषि और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture and Farmers Welfare			
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹552.08 करोड़) के तहत अतिरिक्त 'सहायता अनुदान सामान्य (₹4157.84 करोड़) और सहायता अनुदान प्रदान करने 2. पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना (₹1000 करोड़) के तहत सब्सिडी प्रदान करने और 3. (i) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए ₹15000 करोड़ 'कृषि अवसंरचना और विकास को-1' में और (ii) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास को-1' में ₹60000 करोड़ और (iii) कृषि अवसंरचना और विकास निधि में ₹3500 करोड़ का अतिरिक्त अंतरण करने के लिए।	For 1. providing additional 'Grants-in-aid General (₹4157.84 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan (₹552.08 crore) towards meeting expenditure under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) 2. providing subsidy under Price Support Scheme of PM-Aasha Scheme (₹1000 crore) and 3. transfer of (i) (₹15000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY) and (ii) (₹60000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) and (iii) additional transfer to (₹3500 crore to Agriculture Infrastructure and Development Fund.	1,257.17	-	1,257.17
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(i) 'आईसीएआर को सहायता' के तहत अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं फसल विज्ञान संस्थानों के सामान्य सहायता अनुदान (₹88.33 करोड़) और 'पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' (₹62.62 करोड़), (ii) कृषि, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन के तहत पेंशन संबंधी देनदारियों और अन्य प्रशासनिक खर्चों	For (i) Grants-in-aid General (₹88.33 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹62.62 crore) of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes under 'Assistance to ICAR' (ii) Grants-in-aid General for the meeting of pensionary liabilities and other administrative expenses			

(ii)

पूरक अनुदान मांगे, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (₹130.50 करोड़) (iii) कृ-ि, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित 'आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन' के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2 करोड़) और (iv) आईसीएआर को सहायता के अंतर्गत सहायता सामान्य अनुदान (₹39.09 करोड़) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹78.96 करोड़)।	under 'ICAR Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹130.50 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under 'ICAR Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹ 2 crore) and (iv) Grants-in-aid General (₹ 39.09 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹78.96 crore) under 'Assistance to ICAR'.	150.95	-	150.95
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) मेसर्स टीवीईएल, रूस से केकेएनपीपी के लिए ईंधन की खरीद और आरएपीएस को बकाया भुगतान के लिए।	(a) For procurement of Fuel for KKNPP from M/s TVEL, Russia and arrears payment to RAPS.	329.66	-	329.66
(ख) एनएफसी, हैदराबाद के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(b) For establishment related expenditure for NFC, Hyderabad.	1,120.98	-	1,120.98
(ग) स्थापना के अंतर्गत भारी जल संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव हेतु।	(c) For operation and maintenance of Heavy Water Plants under Establishment.	-	192.32	192.32
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
5 रसायन और पेट्रोसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड को ऋण के लिए (₹486.74 करोड़)।	For loan to HIL (India) Ltd. (₹486.74 crore).	-	399.18	399.18
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers			
पीएंड के फर्टिलाइजर्स के लिए पो-क आधारित सब्सिडी स्कीम हेतु (₹4900 करोड़)।	For Nutrient Based Subsidy Scheme for P&K fertilizers (₹4900 crore).	3,000.00	-	3,000.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी (₹768 करोड़) के लिए।	For Subsidies (₹768 crore) under Interest Equalisation Scheme.	650.43	-	650.43
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
₹220.63 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्ट) (₹96.85 करोड़), संचार वित्त के लिए प्रशिक्षण संस्थान (₹25 करोड़), बीएसएनएल को सैटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना (₹1.05 करोड़), ट्राई की भवन और संरचना को पूरा करने के लिए (₹97.55 करोड़)।	For meeting additional expenditure meeting additional expenditure of ₹220.63 crore towards Telecom Computer Emergency Response Team (T-Cert) (₹96.85 crore), Training Institute for Communication Finance (₹25 crore), Establishment of Satellite Gateway Assistance to BSNL (₹ 1.05 crore), Building and Structures of TRAI (₹97.55 crore).	-	96.85	96.85

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
14 उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
उपभोक्ता संरक्षण प्रको-ठ के लिए कार्यालय व्यय संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Office Expenses for Consumer Protection Cell.	17.87	-	17.87
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
(क) स्थापना के अधीन विज्ञापन और प्रचार संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting expenditure towards Advertising and Publicity under Establishment.	152.45	-	152.45
(ख) 1. (i) पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान लेनदेन पर भारतीय खाद्य निगम और अन्य को देय सब्सिडी (₹2,454.03 करोड़) और (ii) पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यानों के विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी (₹6,777 करोड़) 2. 'स्कीम वेयरहाउसिंग एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी' के अधीन सामान्य सहायता अनुदान (₹0.99 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए सब्सिडी।	(b) For meeting expenditure towards 1. Subsidies for (i) Subsidy payable to FCI & others on foodgrains transactions under PMGKAY (₹2,454.03 crore) and (ii) Subsidy to State Government on Decentralized Procurement of foodgrains under PMGKAY (₹6,777 crore) and 2. Grants-in-aid-General under 'Scheme Warehousing Development and Regulatory Authority (₹0.99 crore).	9,231.03	-	9,231.03
(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भंडारण गोदाम के निर्माण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Construction of Food Storage godowns by FCI.	-	26.56	26.56
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
(क) सचिवालय सामान्य सेवाओं के तहत वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Salaries under Secretariat General Services.	0.95	-	0.95
(ख) (i) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (₹49.48 करोड़) और (ii) रक्षा संपदा संगठन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹144.38 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (एसएपी), (₹0.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.40 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय (₹12 करोड़) के अधीन ₹206.76 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure of ₹206.76 crore under (i) Ministry of Defence (Secretariat) (₹49.48 crore) and (ii) Defence Estate Organisation towards Grants in aid General (₹144.38 crore), Grants in aid General (SAP), (₹0.50 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹0.40 crore) and Establishment related expenditure (₹12 crore).	186.57	-	186.57
(ग) स्थापना संबंधी व्यय (₹7.84 करोड़) और वेतन (₹1.80 करोड़) के अतिरिक्त ₹9.64 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure of ₹9.64 crore towards Salary (₹1.80 crore) and Establishment related Expenditure (₹7.84 cr).	9.64	-	9.64
(घ) भत्ते (₹97.13 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹52 करोड़) और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹29.63 करोड़) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए ₹178.76 करोड़ की अतिरिक्त निधि।	(d) For additional funds of ₹178.76 crore towards meeting expenditure under Allowances (₹97.13 Crore), Fuels and Lubricants (₹52 Crore) and Other Administrative Expenses (₹29.63 Crore).	173.32	-	173.32
(ङ) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के वेतन और भत्तों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure for Jammu and Kashmir Light Infantry towards Pay and Allowances.	138.53	-	138.53

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(च) सामग्री और आपूर्ति और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के तहत कैटीन स्टोर विभाग के लिए ₹519 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure of ₹519 crore for Canteens Store Department under Material and Supplies and other Establishment related expenditure.	126.00	-	126.00
(छ) सड़क रखरखाव के लिए सीमा सड़क संगठन के तहत ₹182.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹1 करोड़), राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव (₹37 करोड़), राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़क और रखरखाव (₹124.75 करोड़), सहायता अनुदान सामान्य (₹5 करोड़) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान (₹15 करोड़)।	(g) For meeting additional expenditure of ₹182.75 crore under Border Road Organization for Road Maintenance (₹1 crore), Repair and Maintenance of National Highways (₹37 crore), Road and Maintenance of other than National Highways (₹124.75 crore), Grants in aid General (₹5 crore) and Grants in aid for creation of Capital Assets (₹15 crore).	182.75	-	182.75
(ज) 'बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर' और 'इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स' के लिए राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना के तहत ₹511.58 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(h) For meeting additional expenditure of ₹511.58 crore under Capital Outlay on Fiscal Services for 'Building and Structure' and 'Infrastructure Assets'.	-	241.35	241.35
(झ) रक्षा संपदा संगठन (₹6.97 करोड़) और रक्षा मंत्रालय सचिवालय (₹12.94 करोड़) के लिए ₹19.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(i) For meeting additional expenditure of ₹19.91 crore for Defence Estate Organization (₹6.97 crore) and Ministry of Defence Secretariat (₹12.94 crore).	-	17.91	17.91
(ञ) रक्षा प्रदर्शनी संगठन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(j) For meeting additional expenditure under Defence Exhibition Organization.	-	5.45	5.45
(ट) ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(k) For meeting additional expenditure towards providing the loans.	-	1.25	1.25
20 रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) 'परिवहन (₹0.20 करोड़), 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (₹0.20 करोड़), 'स्टोर' (₹3 करोड़), 'वर्क्स' (₹1 करोड़) के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए) और सेना की 'राष्ट्रीय राइफल्स' (₹2 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards payments arising out of Court Orders for 'Transportation (₹0.20 crore), 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹0.20 crore), 'Stores' (₹3 crore), 'Works' (₹1 crore) and 'Rashtriya Rifles' (₹2 crore) of Army.	6.40	-	6.40
(ख) वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए- सेना' (₹5160.50 करोड़), 'वेतन और भत्ते-सहायक बल (₹1,209 करोड़), परिवहन (₹500.10 करोड़), 'ईसीएचएस' (₹1189.74 करोड़), 'स्टोर' (₹956.29 करोड़), 'कार्य' (₹149.51 करोड़), राष्ट्रीय राइफल्स (₹553.58 करोड़) और सेना के लिए 'अन्य व्यय' (₹870.24 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowances- Army' (₹5160.50 Crore), 'Pay & Allowances-Aux forces (₹1,209 Crore), Transportation (₹500.10 crore), 'ECHS' (₹1189.74 Crore), 'Stores' (₹956.29 Crore), 'Works' (₹149.51 Crore), Rashtriya Rifles (₹553.58 crore) and 'Other Expenditure' (₹870.24 Crore) for Army.	9,162.36	-	9,162.36
(ग) 'वेतन और भत्ते-नौसेना' (₹156.06 करोड़), 'परिवहन' (₹161.50 करोड़), 'मरम्मत और रिफिट्स' (₹296 करोड़), 'स्टोर' (₹1,233.87 करोड़), 'कार्य' (₹43.85 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए और नौसेना के लिए 'अन्य व्यय' (₹259.05 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards 'Pay & Allowances-Navy' (₹156.06 crore), 'transportation' (₹161.50 crore), 'repairs & refits' (₹296 crore), 'stores' (₹1,233.87 crore), 'works' (₹43.85 crore), and 'other expenditure' (₹259.05 crore) for Navy.	1,366.33	-	1,366.33

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) वायु सेना के लिए 'स्टोर' (₹3,365.52 करोड़) और 'विशेष परियोजनाओं' (₹1.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards 'stores' (₹3,365.52 crore) and 'Special Projects' (₹1.50 Crore) for Air Force.	2,928.52	-	2,928.52
(ङ) अनुसंधान विकास संगठन के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए ₹1.58 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure of ₹1.58 crore towards payments arising out of Court Orders for (Other Expenditure) of Research Development Organisation.	1.50	-	1.50
(च) 'वेतन और भत्ते-सिविलियंस (₹200 करोड़), स्टोर्स (₹32.08 करोड़) और अनुसंधान एवं विकास के लिए 'अन्य व्यय' (₹35.32 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure towards 'Pay & Allowances-Civilians (₹200 crore), Stores (₹32.08 crore) and 'Other Expenditure' (₹35.32 crore) for Research & Development.	83.50	-	83.50
22 रक्षा पेंशन पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (3882.18 करोड़ रुपए), रिवाइर्ड्स (5.20 करोड़ रुपए), पेंशन प्रशासनिक रक्षा सेवा (स्पर्श) (3.50 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	22 Defence Pensions For meeting additional expenditure towards Pensions and Other Retirement Benefits (₹3882.18 crore), Rewards (₹5.20 crore) and Systems for Pensions Administrative-Raksha (SPARSH) Services (₹3.50 crore).	3,890.00	-	3,890.00
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION		
25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy			
(i) ऑडिट शिक्षा निदेशालय (डीएई) के लिए पुरस्कार (₹0.02 करोड़) (ii) व्यावसायिक सेवाएं (₹5 करोड़) और समग्र शिक्षा के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹2.75 करोड़) और (iii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण (₹11000 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Rewards for Directorate of Audit Education (DAE) (₹0.02 crore) (ii) Professional Services (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2.75 crore) for Samagra Shiksha and (iii) Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (₹11000 crore).	3,668.85	-	3,668.85
26 उच्चतर शिक्षा विभाग	26 Department of Higher Education			
(क) (i) विश्व स्तरीय संस्थानों की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹180 करोड़) और (ii) विश्व स्तरीय संस्थान योजना के तहत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा) में अतिरिक्त हस्तांतरण (₹6500 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid General (₹20 Crore) and Grants for creation of capital assets (₹180 Crore) under the scheme World Class Institutions and (ii) additional transfer to Madhyamik and Uchhtar Shiksha Kosh (University and Higher Education) (₹6500 Crore) under the scheme World Class Institutions.	6,500.00	-	6,500.00
(ख) (i) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹46.50 करोड़) और भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (₹6.08 करोड़) (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹25.41 करोड़) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹47.56 करोड़) और (iii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अतिरिक्त हस्तांतरण (₹6,000 करोड़)।	(b) For (i) Grants-in-aid General under the scheme Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (₹46.50 Crore) and Support to Indian Institute of Science (₹6.08 Crore) (ii) Grants for creation of capital assets under schemes of Support to Indian Institute of Science (₹25.41 crore) and Support to Indian Institute(s) of Information Technology (₹47.56 Crore) and (iii) additional transfer to Madhyamik and Uchhtar Shiksha Kosh (₹6,000 Crore).	6,000.00	-	6,000.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(i) भोपाल गैस रिसाव आपदा से संबंधित उपचार और अपशिष्ट निपटान कार्य एवं रिमेडियेशन (₹126.09 करोड़), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (₹2.30 करोड़) और समान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (₹1.10 करोड़) और सहायता अनुदान-वेतन (1 करोड़ रुपए) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹10 करोड़) के तहत जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए प्रावधान बढ़ाने के लिए।	For augmenting provision for (i) remediation and waste disposal works related to Bhopal Gas Leak Disaster (₹126.09 crore), Botanical Survey of India (₹2.30 crore) and National Biodiversity Authority (₹1.10 crore) under Grants-in-aid-General and (ii) GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development under Grants-in-aid-Salaries (₹1 crore) and Grants for creation of capital assets (₹10 crore).	126.09	-	126.09
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण हेतु।	For transfer to Senior Citizen Welfare Fund.	5,000.00	-	5,000.00
32 वित्तीय सेवाएँ विभाग	32 Department of Financial Services			
रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना पर भुगतान के लिए।	For payment on Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions.	985.00	-	985.00
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
(क) परिचालन गतिविधि में वृद्धि और नए कार्यालयों की स्थापना के कारण प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	(a) For establishment related expenditure of Enforcement Directorate on account of increased operational activity and establishment of new offices.	84.12	-	84.12
(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य संबंधित कार्यों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण/ डिजिटलीकरण के लिए।	(b) For comprehensive computerization/ digitization of the Appellate Tribunal and other related work.	-	7.10	7.10
41 पेंशन	41 Pensions			
अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, अवकाश नकदीकरण, अधिशेष घोषित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से उत्पन्न अनुग्रह पेंशन, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, पेंशन शुल्क के संबंध में एनसीटी दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी और अन्य पेंशन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Superannuation and Retirement Allowance, Gratuities, Family Pensions, Leave Encashment, Ex-gratia Pension arising out of special Voluntary Retirement Scheme (VRS) to Central Government Employee declared as surplus, Defined Contribution Pension Scheme, Pensionary charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT Delhi and Other Pensions.	3,000.00	-	3,000.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 मंत्रिमंडल	50 Cabinet			
(क) अन्य राजस्व व्यय के अंतर्गत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान परिचालन के लिए।	(a) For Special Extra Session Flight Operations under Other Revenue Expenditure.	238.41	-	238.41
(ख) अन्य पूंजीगत व्यय के तहत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान परिचालन के लिए।	(b) For Special Extra Session Flight Operations under Other Capital Expenditure.	-	221.84	221.84

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
58 जम्मूकश्मीर के लिए अंतरण संसाधन अंतर को पाटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	58 Transfers to Jammu and Kashmir For meeting additional expenditure towards Central Assistance to the UT of Jammu & Kashmir for bridging the Resource Gap.	3,000.00	-	3,000.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि और न्याय चुनाव संबंधी व्यय की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	65 Law and Justice For meeting expenditure under Professional Services for clearing the pending liabilities towards election related expenditure.	286.92	-	286.92
66 निर्वाचन आयोग (i) आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण के संबंध में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मध्यस्थता संबंधी निर्णय की शेष राशि का भुगतान (₹18.60 करोड़) और (ii) आईआईआईडीईएम परिसर (₹5.68 करोड़) के निर्माण के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए अतिरिक्त व्यय को करने के लिए।	66 Election Commission For meeting additional expenditure on (i) payment of balance amount of arbitration award as per the directions of Hon'ble High Court of Delhi in connection with the construction of IIIDEM campus (₹18.60 crore) and (ii) clearing the pending liabilities of the CPWD in connection with the construction of IIIDEM campus (₹5.68 crore).	-	24.28	24.28
67 भारत का उच्चतम न्यायालय (क) (i) वेतन (₹5.88 करोड़), (ii) पुरस्कार (₹0.24 करोड़), (iii) चिकित्सा उपचार (₹2.80 करोड़), (iv) भत्ते (₹4.13 करोड़), (v) अवकाश यात्रा रियायत (₹0.50) करोड़, (vi) प्रशिक्षण व्यय (₹0.03 करोड़), (vii) विदेश यात्रा व्यय (₹1.25 करोड़), (viii) कार्यालय व्यय (₹7 करोड़), (ix) विज्ञापन और प्रचार (₹0.03 करोड़) और (x) व्यावसायिक सेवाएँ (₹4.58 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) मोटर वाहन (₹0.14 करोड़), (ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹8.49 करोड़) और (iii) अन्य अचल संपत्ति (₹1.44 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	67 Supreme Court of India (a) For meeting additional expenditure under (i) Salaries (₹5.88 crore), (ii) Rewards (₹0.24 crore), (iii) Medical Treatment (₹2.80 crores), (iv) Allowances (₹4.13 crore), (v) Leave Travel Concession (₹0.50 crore), (vi) Training Expenses (₹0.03 crore), (vii) Foreign Travel Expenses (₹1.25 crore), (viii) Office Expenses (₹7 crore), (ix) Advertising and Publicity (₹0.03 crore) and (x) Professional services (₹4.58 crore). (b) For meeting additional expenditure under (i) Motor Vehicle (₹0.14 crore), (ii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹8.49 crore) and (iii) Other Fixed Assets (₹1.44 crore).	26.44	-	26.44
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
69 खान मंत्रालय राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि में अंतरण हेतु।	69 Ministry of Mines For transfer to National Mineral Exploration Trust Fund.	821.42	-	821.42
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
83 उपराष्ट्रपति सचिवालय (क) कार्यालय व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	83 Secretariat of the Vice-President (a) For meeting additional expenditure under Office Expenses.	0.50	-	0.50

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure under Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment.	-	0.15	0.15
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) महात्मा गांधी रा-द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रा-द्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधि अंतरण (6000 करोड़ रुपये) और (ii) महात्मा गांधी रा-द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (4842.66 करोड़ रुपये)।	(a) For (i) transfers of funds to National Employment Guarantee Fund under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (₹6000 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (₹4842.66 crore).	10,798.28	-	10,798.28
(ख) कृ-ि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अतिरिक्त अंतरण करने के लिए (12000 करोड़ रुपये)।	(b) For additional transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹12000 crore).	2,256.66	-	2,256.66
(ग) निम्नलिखित के लिए (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातिय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जन मन) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.01 करोड़ रुपये) और (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वित्तपोषित करने के लिए कृ-ि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में अंतरण (170.59 करोड़ रुपये)।	(c) For (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural and (ii) transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹170.59 crore) towards financing of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.	469.52	-	469.52
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	77,429.12	1,243.80	78,672.92

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
---	--	-------------------	------------------	---------------

3. अनुदानों की अनुपूरक मांगों के इस बैच में ₹1,21,625.40 करोड़ रुपए के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनुरूपी बचतों से सुपूरित होते हैं। ये मद इस प्रकार से हैं:

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹1,21,625.40 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी अनुपूरक अनुदान मांगें

Technical Supplementary Demands for grants

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE

1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare

(क) 1 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (4157.84 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (552.08 करोड़ रुपये) प्रदान करना।

(a) For 1. providing additional 'Grants-in-aid General (₹4157.84 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan (₹552.08 crore) towards meeting expenditure under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2. पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना (1000 करोड़ रुपये) के तहत सब्सिडी प्रदान करना और 3. (i) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए 15000 करोड़ रुपये, 'कृषि अवसंरचना और विकास कोष' में और (ii) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास कोष' में 60000 करोड़ रुपये और (iii) कृषि अवसंरचना और विकास निधि में 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अंतरण।	KISAN) 2. providing subsidy under Price Support Scheme of PM-Aasha Scheme (₹1000 crore) and 3. transfer of (i) (₹15000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY) and (ii) (₹60000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) and (iii) additional transfer to (₹3500 crore to Agriculture Infrastructure and Development Fund.	79,133.36	-	79,133.36
(ख) मृदा और जल संरक्षण के तहत मजदूरी, चिकित्सा उपचार, पुरस्कार आदि के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Wages, Medical Treatment, Rewards etc. under Soil and Water Conservation.	2.12	-	2.12
(ग) योजना- 'संशोधित ब्याज सहायता स्कीम' (एमआईएसएस) (18500.00 करोड़) के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में ₹19500 करोड़ के अंतरण के लिए	(c) For transfer of ₹19500 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Modified Interest Subvention Scheme' (MISS) (₹18500.00 crore).	15,100.00	-	15,100.00
(घ) स्कीम - 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीवाई) के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 686.45 करोड़ रुपये के अंतरण के लिए (186.45 करोड़ रुपये) और (ii) कृषोन्नति योजना के कृषि विपणन के तहत सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (527 करोड़ रुपये)।	(d) For transfer of ₹686.45 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' (RKVY) (₹186.45 crore) and (ii) providing Grants-in-aid General under Agriculture Marketing of Krishonnati Yojana (₹527 crore).	5.52	-	5.52
(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कृषोन्नति योजना (14.77 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹222 करोड़ रुपये) के तहत सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करना।	(e) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Krishonnati Yojna (₹14.77 crore) and Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹222 crore) for North Eastern Areas.	236.77	-	236.77
(च) स्कीम - 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि में 5937.85 करोड़ रुपये के अंतरण के लिए	(f) For transfer of ₹5937.85 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme - 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna'.	5,133.56	-	5,133.56
(छ) फसल कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना।	(g) For meeting expenditure under Capital Outlay on Crop Husbandry.	-	27.58	27.58
(ज) अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना।	(h) For meeting expenditure under Capital Outlay on Other Agricultural Programmes.	-	3.47	3.47
(झ) अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना।	(i) For meeting expenditure under Capital Outlay on other General Economic Services.	-	7.97	7.97

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE			
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(i) आईसीएआर सहायता' के तहत फसल विज्ञान संस्थानों अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (88.33 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (62.62 करोड़ रुपये) (ii) कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के तहत पेंशन देनदारियों और अन्य प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (130.50 करोड़ रुपये) (iii) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु जिनमें कृषि, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय शामिल हैं (2 करोड़ रुपये) और (iv) आईसीएआर को सहायता' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (39.09 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (78.96 करोड़ रुपये)।	For (i) Grants-in-aid General (₹88.33 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹62.62 crore) of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes under 'Assistance to ICAR' (ii) Grants-in-aid General for the meeting of pensionary liabilities and other administrative expenses under 'ICAR Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹130.50 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under 'ICAR Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹2 crore) and (iv) Grants-in-aid General (₹39.09 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹78.96 crore) under 'Assistance to ICAR'.	0.45	-	0.45
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
5 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
(क) एचआईएल (इंडिया) लि. (104.25 करोड़ रुपये), एनएसपी स्कीम के लिए सामान्य अनुदान सहायता अर्थात् सीपीडीएस (0.75 करोड़ रुपये) और आईपीएफटी के सीसीए घटक (1.50 करोड़ रुपये) के संबंध में बकाया ऋण पर मूलधन और ब्याज को बट्टे खाते में डालने/माफ करने के लिए	(a) For writing off/waiving off principal and interest on outstanding loan in respect of HIL (India) Ltd. (₹104.25 crore), Grants-in-aid General of NSP scheme i.e. CPDS (₹0.75 crore) and CCA component of IPFT (₹1.50 crore).	104.25	-	104.25
(ख) मशीनरी और उपकरण (0.11 करोड़ रुपये), सूचना कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) (0.64 करोड़ रुपये) और फर्नीचर और फिशर के लिए (0.02 करोड़ रुपये)।	(b) For Machinery and Equipment (₹0.11 crore), Information Computer Telecommunications (ICT) (₹0.64 crore) and Furniture & Fitures (₹0.02 crore).	-	0.77	0.77
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 फार्मास्यूटिकल्स विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(i) आरडीपीएल (64.25 करोड़ रुपये) और (ii) पीपीडीएस के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) और फार्मास्यूटिकल्स स्कीम के लिए पीएलआई (32 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान की ऋण राशि को बट्टे खाते में डालना/माफ करना।	For (i) write off/waiver off the loan amount of RDPL (₹64.25 crore) and (ii) Grants-in-aid General under PPDS (₹2 crore) and PLI for Pharmaceuticals scheme (₹32 crore).	64.25	-	64.25

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
(क) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में 'भवन और संरचनाएं' के तहत संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भुगतान के लिए।	(a) For payment for construction of combined office building under 'Building and Structures' in Aircraft Accident Investigation Bureau.	-	4.88	4.88
(ख) (i) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में स्थापना के लिए (66.10 करोड़ रुपये) और एयरोनॉटिकल निरीक्षण नियंत्रक (डीजीसीए) में स्थापना के लिए (1.10 करोड़ रुपये) और (ii) नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में भवन और संरचना (स्थापना) के लिए (6.02 करोड़ रुपये) के तहत संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण और अन्य पूंजीगत व्यय के भुगतान के लिए।	(b) For payment for construction of combined office building and other capital expenditure under (i) Establishment in Directorate General Civil Aviation (₹66.10 crore) & Establishment in Controller of Aeronautical Inspection (DGCA) (₹1.10 crore) and (ii) Building & Structures (Establishment) in Bureau of Civil Aviation Security (₹6.02 crore).	-	73.22	73.22
(ग) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के लिए मशीनरी और उपकरण के व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Machinery and Equipment for Aircraft Accident Investigation Bureau.	-	1.59	1.59
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
ब्याज समानीकरण स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए (768 करोड़ रुपये)।	For Subsidies (₹768 crore) under Interest Equalisation Scheme.	9.44	-	9.44
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (₹15.04 करोड़ रुपये) और मोटर वाहन (₹0.59 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Information and communication Technology (₹15.04 crore) and Motor Vehicle (₹0.59 crore).	-	15.63	15.63
(ख) मोटर वाहनों (₹11.08 करोड़ रुपये), भवन (₹12.40 करोड़ रुपये) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (₹144.64 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹11.08 crore), Building (₹12.40 crore) and Information and Communication Technology (₹144.64 crore).	-	168.12	168.12
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
1. (i) अकादमी को सहायता (50 करोड़ रुपये), (ii) बीटीआई एवं स्मारक (4.44 करोड़ रुपये), (iii) संग्रहालय को सहायता (38.42 करोड़ रुपये) और (iv) पुस्तकालयों को सहायता (3.85 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2. (i) संग्रहालय को सहायता (0.18 करोड़ रुपये) (ii) पुस्तकालय को सहायता (2.50 करोड़ रुपये), (iii) बीटीआई और स्मारक (0.10 करोड़ रुपये) और (iv) अकादमियों को सहायता (7 करोड़ रुपये) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन	For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Support to Akademi (₹50 crore) (ii) BTI & Memorial (₹4.44 crore) (iii) Support to Museum (₹38.42 crore) and (iv) Support to Libraries (₹3.85 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Support to Museum (₹0.18 crore) (ii) Support to Library (₹2.50 crore) (iii) BTI & Memorials (₹0.10 crore) and (iv) Support to Akademies (₹7 crore) 3. Grants-in-aid Salaries for Support to Museum			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
हेतु अनुदान 3. संग्रहालय को सहायता के लिए वेतन सहायता अनुदान (2.88 करोड़ रु) 4. शताब्दी और वर्षगांठ स्कीम (25 करोड़ रुपये) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (10.50 करोड़ रुपये) के तहत अन्य शी-नों के व्यय को पूरा करना।	(₹2.88 crore) 4. Other heads under Centenaries and Anniversaries Scheme (₹25 crore) and Archaeological Survey of India (₹10.50 crore).	35.50	-	35.50
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE		
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
(क) सामग्री एवं आपूर्ति तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत कैंटीन भंडार विभाग के लिए 519 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure of ₹519 crore for Canteen Store Department under Material and Supplies and other Establishment related expenditure.	393.00	-	393.00
(ख) भारत डायनामिक्स लिमिटेड को जारी बोनस शेयरों के समायोजन की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards adjustment of bonus shares issued to Bharat Dynamics Limited.	-	91.64	91.64
(ग) वर्ष 2017-18 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के संबंध में जारी बोनस शेयरों के समायोजन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards adjustment of Bonus Shares issued in respect of Bharat Electronic Limited for the year 2017-18.	-	264.36	264.36
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
वायु सेना के लिए 'स्टोर' (3,365.52 करोड़ रुपये) और 'विशेष परियोजनाओं' के लिए (1.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards 'stores' (₹3,365.52 crore) and ' Special Projects' (₹1.50 Crore) for Air Force.	398.00	-	398.00
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	21 Capital Outlay on Defence Services			
भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (0.50 करोड़ रुपये), सेना के लिए निर्माण कार्य (30 करोड़ रुपये), नौसेना के लिए भूमि (0.18 करोड़ रुपये) और वायु सेना के लिए निर्माण कार्य (17.45 करोड़ रुपये) के अदालत के आदेश से उत्पन्न होने वाले व्यय के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Ex -Servicemen Contributory Health Scheme (₹0.50 crore), Construction Works (₹30 crore) for Army , Land (₹0.18 crore) for Navy and Construction Works (₹17.45 crore) for Air Force towards expenditure arising out of court order.	-	28.87	28.87
22 रक्षा पेंशन	22 Defence Pensions			
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (3882.18 करोड़ रुपये), पुरस्कार (5.20 करोड़ रुपये) और पेंशन प्रशासनिक-रक्षा (एसपीएआरएसएच) सेवाओं (3.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Pensions and Other Retirement Benefits (₹3882.18 crore), Rewards (₹5.20 crore) and Systems for Pensions Administrative-Raksha (SPARSH) Services (₹3.50 crore).	0.88	-	0.88
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE		
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2950 करोड़ रुपए प्रदान करने हेतु।	For providing ₹2950 crore as additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans).	-	2,950.00	2,950.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES		
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास कोष' में अंतरित करने हेतु ।	For transfer to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the Scheme Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY).	745.00	-	745.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
48 भारी उद्योग मंत्रालय	48 Ministry of Heavy Industries			
सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत कार्यालय व्यय (1.92 करोड़ रुपये) के लिए।	For Office Expenses (₹1.92 crore) under Secretariat- Economic Services.	0.19	-	0.19
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
(क) आईसीटी के व्यय को पूरा करने हेतु	(a) For meeting expenditure towards ICT.	-	5.00	5.00
(ख) भूमि की खरीद के लिए सिक्किम सरकार को भुगतान करने हेतु।	(b) For making payment to Government of Sikkim towards purchase of land.	-	2.63	2.63
51 पुलिस	51 Police			
(क) आईटीबीपी के तहत अन्य राजस्व व्यय हेतु।	(a) For Other Revenue Expenditure under ITBP.	0.72	-	0.72
(ख) भत्ते (₹2740 करोड़), वेतन (₹700 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (342.15 करोड़ रुपये), ईंधन और स्नेहक (100 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (72.11 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करने के लिए एलपीआई और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए (2.11 करोड़ रुपये), एलपीआई के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़), कार्यालय व्यय (₹150 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹100 करोड़), लघु सिविल और विद्युत कार्य (₹100 करोड़), पेशेवर सेवाएँ (₹150 करोड़) और अन्य के लिए किराया (₹233.60 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Allowances (₹2740 crore), Salaries (₹700 crore), Domestic Travel Expenses (₹342.15 crore), Fuel and Lubricants (₹100 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹72.11 crore) for LPAI and Modernization of Police forces (₹2.11 crore), Grants in Aid General for LPAI (₹10 Crore), Office Expenses (₹150 crore), Other Revenue Expenditure (₹100 crore), Minor Civil and Electrical Works (₹100 crore), Professional Services (₹150 crore) and Rent for other (₹233.60 crore).	439.08	-	439.08
53 चंडीगढ़	53 Chandigarh			
(क) आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के भुगतान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय के अधिकारियों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting additional expenditure for the payment of wages to the outsourced staff and the reimbursement of medical claims of Retired Judges, Judicial officers and officials of High Court	4.16	-	4.16
(ख) चुनाव प्रभार के संबंध में बिलों के लंबित भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for the pending payment of bills in respect Election Charges .	2.10	-	2.10
(ग) वीवीआईपी और वीआईपी दौरों के लिए वाहनों को किराए पर लेने, बूथ स्तर के अधिकारियों को भुगतान और राज्य समारोहों के आयोजन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure for payment of hiring vehicles for VVIP and VIP visits, payment to Booth Level officers and for organizing state functions.	2.40	-	2.40
(घ) ई-ऑफिस मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर की खरीद और जीईएम के माध्यम से केंद्रीय स्टोर में सीमेंट, इस्पात और निर्माण सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure for procurement of hardware for the implementation of e-office module and procurement of cement, steel and building material in the Central Store through GeM.	3.98	-	3.98
(ङ) आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, डिलीवरी किट, वैक्सिन और सर्जिकल वस्तुओं की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(e) For meeting additional expenditure for purchase of essential life savings drugs, delivery kits, vaccine and surgical items			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में एबी-पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दावा प्रतिपूर्ति के लिए, और सरकारी मेडिकल कॉलेज की पुरानी मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव के लिए।	and for claim re-imbursements to the empanelled hospitals under AB-PMJAY in Government Multispeciality Hospital, and for repair and maintenance of old machinery of the Government Medical College.	11.04	-	11.04
(च) बसों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में वृद्धि और बस बेड़े (फ्लीट) में वृद्धि के कारण परिवहन विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure for Transport Department due to hike in prices of spare parts of buses and increase of bus fleet.	3.32	-	3.32
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) वेतन, मजदूरी, पुरस्कार, घरेलू और विदेशी यात्रा आदि पर स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए।	(a) For meeting expenditure towards establishment expenditure on Salaries, Wages, Rewards, Domestic & Foreign Travel etc.	2.14	-	2.14
(ख) 'नदियों को जोड़ने' की योजना के तहत वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में ₹3200 करोड़ के अंतरण के लिए।	(b) For transfer of ₹3200 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing under the scheme 'Interlinking of Rivers'.	1,100.00	-	1,100.00
(ग) अटल भूजल योजना के तहत ईएपी घटक के तहत और गैर-ईएपी घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under EAP Component and under Non-EAP Component under Atal Bhujal Yojana.	497.14	-	497.14
(घ) अन्य परिवहन सेवाओं के तहत भत्ते, चिकित्सा, कार्यालय व्यय और व्यावसायिक सेवाओं आदि के व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Allowances, Medical, Office Expenses and Professional Services etc. under Other Transport Services.	4.16	-	4.16
(ङ) 'राष्ट्रीय गंगा योजना' योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में ₹2300 करोड़ के अंतरण के लिए।	(e) For transfer of ₹2300 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing the scheme 'National Ganga Plan'.	705.00	-	705.00
(च) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाओं' योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में ₹2900 करोड़ के अंतरण के लिए।	(f) For transfer of ₹2900 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing the scheme 'Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Projects'.	1,607.42	-	1,607.42
63 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	63 Department of Drinking Water and Sanitation			
सूचना कम्प्यूटर और दूरसंचार उपकरणों की लागत के लिए।	For the cost of Information, Computer and Telecommunications Equipment.	-	1.40	1.40
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71 Ministry of New and Renewable Energy			
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित लंबित देनदारियों के संबंध में कार्यालय भवन व्यय के लिए।	For office building expenditure against pending liabilities related to Central Public Works Department.	-	5.50	5.50

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) सीबीआई के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण के लिए।	(a) For comprehensive modernisation and purchase of land/ construction of office/ residence buildings for CBI.	-	30.47	30.47
(ख) अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन के लिए (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी)।	(b) For improvement of infrastructure and upgradation of essential facilities (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration).	-	9.60	9.60
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
(क) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं में 'सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के तहत मौजूदा वीसी प्रणाली के उन्नयन और अन्य आईटी उत्पादों जैसे पीसी, प्रिंटर की खरीद के लिए।	(a) For up-gradation of existing VC system and procurement of other IT products viz PC, Printers under 'Information, Computer and Telecommunication (ICT) Equipment' in Secretariat-Economic Services.	-	1.40	1.40
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
(i) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग की स्थापना के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹0.38 करोड़)	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary (₹0.38 crore) for setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and Ladakh (ii) Grants-in-aid General for Smart Grids (Strengthening of Power Systems) (₹8.49 crore) and Power System Development Fund (PSDF) respectively (₹86.88 crore) (iii) Grants for Creation of Assets (₹50 crore) for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Reform Linked Distribution Scheme and (iv) Grants-in-aid General (₹17 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹13 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC).	30.00	-	30.00
(ii) स्मार्ट ग्रिड के लिए क्रमशः सहायता अनुदान (विद्युत प्रणालियों का सुदृढीकरण) (₹8.49 करोड़) और पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) (₹86.88 करोड़) (iii) रीफार्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अस्तित्व निर्माण के लिए अनुदान (₹50 करोड़) (iv) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) योजना के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹17 करोड़) और पूंजीगत अस्तित्वों के निर्माण के लिए अनुदान (₹13 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।				
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development			
कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अतिरिक्त अंतरण के लिए (₹12000 करोड़)।	For additional transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹12000 crore).	9,475.51	-	9,475.51
88 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources			
(क) वाटरशेड विकास घटक-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में अंतरण के लिए (₹212.35 करोड़)।	(a) For transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹212.35 crore).	58.26	-	58.26

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में (₹1491.29 करोड़) अंतरण के लिए।	(b) For transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹1491.29 crore).	1,118.36	-	1,118.36
(ग) वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में (₹35.91 करोड़) अंतरण के लिए।	(c) For transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹35.91 crore).	24.32	-	24.32
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
92 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में ₹2333.33 करोड़ के अंतरण के लिए।	For transfer of ₹2333.33 crore to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK).	1,476.20	-	1,476.20
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
102 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports			
1. योजना के तहत सामान्य के लिए (i) युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सामान्य श्रेणी के तहत ₹8 करोड़, एससी श्रेणी के तहत ₹0.64 करोड़ और एसटी श्रेणी के तहत ₹0.41 करोड़) (ii) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (₹4.04 करोड़ सामान्य श्रेणी के तहत, एससी श्रेणी के तहत ₹0.94 करोड़ और एसटी श्रेणी के तहत ₹0.42 करोड़) (iii) खेल में मानव संसाधन विकास (₹1 करोड़) और (iv) खेलो इंडिया (₹66.30 करोड़) 2. जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधा में वृद्धि के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹5 करोड़) 3. योजना के तहत अन्य राजस्व व्यय (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) (₹15 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹2 करोड़) और (iii) खेलो इंडिया (₹1.80 करोड़) 4. राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹1 करोड़) 5. (i) व्यावसायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत (₹2 करोड़) और (ii) खेलो इंडिया (₹2.20 करोड़) 6. राष्ट्रीय खेल विकास निधि के तहत योगदान (₹30 करोड़) और 7. राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कार्यालय व्यय (₹7 करोड़)।	For 1. General under the scheme (i) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹8 crore under General category, ₹0.64 crore under SC category & ₹0.41 crore under ST category) (ii) National Young Leaders Programme (₹4.04 crore under General category, ₹0.94 crore under SC category & ₹0.42 crore under ST category) (iii) Human Resource Development in Sports (₹1 crore) and (iv) Khelo India (₹66.30 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under Enhancement of Sports Facility at J&K (₹5 crore) 3. Other Revenue Expenditure under the scheme (i) International Cooperation (IC) (₹15 crore) (ii) National Service Scheme (₹2 crore) and (iii) Khelo India (₹1.80 crore) 4. Advertising and Publicity under the National Service Scheme (₹1 crore) 5. Professional Service under (i) National Service Scheme (₹2 crore) and (ii) Khelo India (₹2.20 crore) 6. Contribution under the National Sports Development Funds (₹30 crore) and 7. Office Expenses under the National Service Scheme (₹7 crore).	3.70	-	3.70
कुल तकनीकी	Total Technical	1,17,931.30	3,694.10	1,21,625.40

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4 नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये के पूरक अनुदान लेने का भी प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाया गया व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बचत के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदान के लिए सांकेतिक पूरक मांगे	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	26.05	-	26.05
2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	34.84	-	34.84
आयुष मंत्रालय	MINISTRY OF AYUSH			
4 आयुष मंत्रालय	4 Ministry of AYUSH			
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	10.25	-	10.25
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
5 रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	0.40	-	0.40
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	30.00	-	30.00
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	37.87	-	37.87
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	20.00	-	20.00
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3475 - Other General Economic Services	0.30	-	0.30
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
3201 - डाक सेवाएँ	3201 - Postal Services	233.30	-	233.30
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
3275 - अन्य संचार सेवाएँ	3275 - Other Communication Services	6,352.27	-	6,352.27
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	8.00	8.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - Capital Outlay on Defence Services	-	8,466.00	8,466.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2.06	-	2.06
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	0.55	0.55
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	7.50	-	7.50
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	135.86	-	135.86
3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	0.02	-	0.02
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	16.60	-	16.60
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	11.01	-	11.01
2061 - विदेश मामले	2061 - External Affairs	726.69	-	726.69
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 व्यय विभाग	31 Department of Expenditure			
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	0.44	0.44
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes			
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	23.00	23.00
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	-	81.72	81.72
37 अप्रत्यक्ष कर	37 Indirect Taxes			
2037 - सीमा शुल्क	2037 - Customs	600.00	-	600.00
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	-	388.95	388.95
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	3.92	3.92
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
2245 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	20.00	-	20.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	1,100.00	-	1,100.00
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
44 पशुपालन और डेयरी विभाग	44 Department of Animal Husbandry and Dairying			
2403 - पशुपालन	2403 - Animal Husbandry	67.77	-	67.77
2404 - डेयरी विकास	2404 - Dairy Development	10.00	-	10.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	15.90	-	15.90
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	128.20	-	128.20
2211 - परिवार कल्याण	2211 - Family Welfare	50.24	-	50.24
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	526.46	-	526.46
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	49.12	-	49.12
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	-	1.27	1.27
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4211 - Capital Outlay on Family Welfare	-	0.01	0.01
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
48 भारी उद्योग मंत्रालय	48 Ministry of Heavy Industries			
2852 - उद्योग	2852 - Industries	8.24	-	8.24
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	4.20	-	4.20
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454 - Census Surveys and Statistics	23.27	-	23.27
51 पुलिस	51 Police			
3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	651.59	-	651.59
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	-	844.95	844.95
52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	2.14	-	2.14
2055 - पुलिस	2055 - Police	1.08	-	1.08
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070 - Other Administrative Services	0.01	-	0.01
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	5.97	-	5.97
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	4.33	-	4.33
2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	7.20	-	7.20
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	8.00	-	8.00
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	3.32	-	3.32
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	3.01	-	3.01
2405 - मत्स्य पालन	2405 - Fisheries	0.41	-	0.41
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	0.02	-	0.02
2425 - सहयोग	2425 - Co-operation	0.20	-	0.20
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programmes	7.83	-	7.83
2702 - लघु सिंचाई	2702 - Minor Irrigation	0.20	-	0.20
2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग	2851 - Village and Small Industries	0.11	-	0.11
3054 - सड़कें और पुल	3054 - Roads and Bridges	2.06	-	2.06
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	-	0.50	0.50
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	0.10	0.10
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	2.62	2.62

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	8.51	8.51
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	-	1.78	1.78
4215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	-	0.80	0.80
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217 - Capital Outlay on Urban Development	-	0.60	0.60
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	-	0.01	0.01
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	2.65	2.65
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405 - Capital Outlay on Fisheries	-	0.29	0.29
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	-	2.32	2.32
4425 - सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	4425 - Capital Outlay on Co-operation	-	0.15	0.15
4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4515 - Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	-	1.20	1.20
4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4711 - Capital Outlay on Flood Control Projects	-	0.73	0.73
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	-	0.65	0.65
4851 - ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	-	0.48	0.48
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	-	1.50	1.50
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	6.38	6.38
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452 - Capital Outlay on Tourism	-	0.20	0.20
55 लद्दाख	55 Ladakh			
2014- न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	0.28	-	0.28
2205- कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	0.82	-	0.82
2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	7.30	-	7.30
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	0.21	-	0.21
2403- पशुपालन	2403-Animal Husbandry	5.94	-	5.94
4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.70	0.70
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4575-Capital Outlay on Other Special Areas Programmes	-	325.00	325.00
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	2.00	-	2.00
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	193.50	193.50
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	-	100.50	100.50
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
2221 - प्रसारण	2221 -Broadcasting	8.00	-	8.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
63 पेयजल और स्वच्छता विभाग	63 Department of Drinking Water and Sanitation			
2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	1,151.31	-	1,151.31
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
64 श्रम और रोजगार मंत्रालय	64 Ministry of Labour and Employment			
2230 - श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill Development	21.00	-	21.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि और न्याय	65 Law and Justice			
2014-न्याय प्रशासन (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1 करोड़ शामिल हैं)।	2014-Administration of Justice (this includes ₹1 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1.52	-	1.52
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	50.00	-	50.00
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	252.97	-	252.97
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71 Ministry of New and Renewable Energy			
2810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	20.00	-	20.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
2052 - सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat - General Services	0.03	-	0.03
2055 - पुलिस	2055 - Police	2.00	-	2.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070 - Other Administrative Services	4.50	-	4.50
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
5051 - पत्तनों और लाइट हाउसों पर पूंजीगत परिव्यय	5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	-	3.60	3.60
5052 - पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052 - Capital Outlay on Shipping	-	4.74	4.74
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	-	0.70	0.70

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
81 लोकसभा 2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र विधानमंडल	81 Lok Sabha 2011 - Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.63	-	0.63
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
85 रेल मंत्रालय 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 5002 - भारतीय रेलवे पर पूंजीगत परियोजना - वाणिज्यिक लाइनें	85 Ministry of Railways 3075 - Other Transport Services 5002 - Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	2,004.33 -	- 2,300.00	2,004.33 2,300.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 4552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परियोजना 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परियोजना	86 Ministry of Road Transport and Highways 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	- -	600.00 9,993.00	600.00 9,993.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास विभाग 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	87 Department of Rural Development 2515 - Other Rural Development Programmes 2552 - North Eastern Areas 3601 - Grants-in-aid to State Governments	43.91 310.00 3,691.18	- - -	43.91 310.00 3,691.18
88 भूमि संसाधन विभाग 2506 - भूमि सुधार	88 Department of Land Resources 2506 - Land Reforms	44.48	-	44.48
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजना (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹3.90 करोड़ शामिल हैं)।	89 Department of Science and Technology 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research(this includes ₹3.90 crore for recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	4.33	4.33
90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	90 Department of Biotechnology 3425 - Other Scientific Research	20.76	-	20.76
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT			
94 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	94 Department of Empowerment of Persons With Disabilities 2235 - Social Security and Welfare	70.00	-	70.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
95 अंतरिक्ष विभाग 3402-अंतरिक्ष अनुसंधान 5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजना	95 Department of Space 3402-Space Research 5402 - Capital Outlay of Space Research	3.48 -	- 8.75	3.48 8.75
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 वस्त्र मंत्रालय 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	98 Ministry of Textiles 2552 - North Eastern Areas	4.94	-	4.94

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय	100 Ministry of Tribal Affairs			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251 - Secretariat-Social Services	2.74	-	2.74
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	41.18	-	41.18
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹100 करोड़ शामिल हैं)	3601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹100 crore for recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India).	501.79	-	501.79
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development			
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	9.10	-	9.10
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	62.19	-	62.19
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	111.84	-	111.84
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
102 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	3.40	-	3.40
कुल सांकेतिक	Total Token	0.80	0.42	1.22
5. अनुदान की पूरक मांगों में 3 विभागों/मंत्रालयों द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गई 104,90,00,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति शामिल है।		5. The Supplementary Demands for Grants includes a total of Rs. ₹104,90,00,000 crore to be recouped to Contingency Fund of India, from which advance were drawn by 3 Departments/Ministeries.		
कुल योग	GRAND TOTAL	1,95,361.22	4,938.32	2,00,299.54
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	77,429.12	1,243.80	78,672.92
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,17,931.30	3,694.10	1,21,625.40
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.80	0.42	1.22

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	(₹ करोड़ in ₹ crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE				
कल्याण मंत्रालय						
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted 100868.51	39.02	100907.53	1-2
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research And Education	Voted 151.41	...	151.41	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY				
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted 1450.64	192.32	1642.96	4
आयुष मंत्रालय		MINISTRY OF AYUSH				
4. आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of AYUSH	Voted 0.01	...	0.01	5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS				
5. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	5. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted 104.26	399.95	504.21	6
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted 3000.00	...	3000.00	7
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted 64.25	...	64.25	8
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION				
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted 0.02	79.69	79.71	9-10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY				
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted 659.87	...	659.87	11
11. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	स्वीकृत	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted 0.02	...	0.02	12
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS				
12. डाक विभाग	स्वीकृत	12. Department of Posts	Voted 0.01	183.75	183.76	13
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted 0.01	96.85	96.86	14-15
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION				
14. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted 17.87	...	17.87	16
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Voted 9383.48	26.56	9410.04	17
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE				
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted 35.50	0.01	35.51	18
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE				
19. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित स्वीकृत	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged 0.95 Voted 1209.81	...	0.95 1831.77	19-20
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित स्वीकृत	20. Defence Services (Revenue)	Charged 7.90 Voted 13938.71	...	7.90 13938.71	21-22
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित स्वीकृत	21. Capital Outlay on Defence Services	Charged ... Voted ...	28.87 0.01	28.87 0.01	23
22. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22. Defence Pensions	Voted 3890.88	...	3890.88	24
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION				
23. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted 0.01	0.01	0.02	25

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	(₹ करोड़ in ₹ crore)			पृष्ठ Page
					पूंजी Capital	जोड़ Total		
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION						
25. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	25. Department of School Education and Literacy	Voted	3668.88	...	3668.88		26
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education	Voted	12500.00	...	12500.00		27
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE						
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	126.10	...	126.10		28
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
29. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs	Voted	0.02	...	0.02		29
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE						
30. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs	Voted	5000.00	...	5000.00		30
31. व्यय विभाग	स्वीकृत	31. Department of Expenditure	Voted	...	0.01	0.01		31
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	32. Department of Financial Services	Voted	985.00	...	985.00		32
35. राजस्व विभाग	स्वीकृत	35. Department of Revenue	Voted	84.12	7.10	91.22		33
36. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	36. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02		34
37. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	37. Indirect Taxes	Voted	0.01	0.02	0.03		35
41. पेंशन	स्वीकृत	41. Pensions	Voted	3000.00	...	3000.00		36
42. राज्यों को अंतरण	भारित	42. Transfers to States	Charged	...	2950.00	2950.00		37
	स्वीकृत		Voted	0.02	...	0.02		
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING						
44. पशु पालन और डेयरी विभाग	स्वीकृत	44. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.02	...	0.02		38
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES						
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	745.01	...	745.01		39
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	0.02	0.06		40-42
भारी उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES						
48. भारी उद्योग मंत्रालय		48. Ministry of Heavy Industries	Voted	0.20	...	0.20		43
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
49. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	49. Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	7.63	7.65		44
50. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	50. Cabinet	Voted	238.41	221.84	460.25		45
51. पुलिस	भारित	51. Police	Charged	0.72	...	0.72		46-47
	स्वीकृत		Voted	439.09	0.01	439.10		
52. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	52. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.16	0.19	0.35		48-51
53. चंडीगढ़	स्वीकृत	53. Chandigarh	Voted	27.00	...	27.00		52-53
55. लद्दाख	स्वीकृत	55. Ladakh	Voted	0.05	0.02	0.07		54-55
58. जम्मू कश्मीर को अंतरण	स्वीकृत	58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	3000.00	...	3000.00		56
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS						
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.01	0.02	0.03		57
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01		58

					(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI						
62.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	62. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	3915.86	...	3915.86	59-60
63.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	स्वीकृत	63. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01	1.40	1.41	61
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	62
65.	विधि और न्याय	स्वीकृत	65. Law and Justice	Voted	286.93	...	286.93	63
66.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	66. Election Commission	Voted	...	24.28	24.28	64
67.	उच्चतम न्यायलय	भारित	67. Supreme Court of India	Charged	26.44	9.56	36.00	65
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
68.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	66
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES						
69.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Mines	Voted	821.42	...	821.42	67
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
71.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	5.50	5.51	68
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
74.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.03	40.07	40.10	69
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS						
78.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	78. Ministry of Ports,Shipping and Waterways	Voted	...	1.42	1.42	70
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER						
79.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	79. Ministry of Power	Voted	30.00	0.01	30.01	71
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
81.	लोक सभा	स्वीकृत	81. Lok Sabha	Voted	0.01	...	0.01	72
83.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	83. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.50	0.15	0.65	73
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS						
85.	रेल मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Railways	Voted	0.01	0.01	0.02	74
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
86.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	...	0.02	0.02	75
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
87.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	87. Department of Rural Development	Voted	23000.00	...	23000.00	76-77
88.	भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	88. Department of Land Resources	Voted	1200.95	...	1200.95	78-79

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
89.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	89. Department of Science and Technology	Voted	...	0.01	0.01	80
90.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	90. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	81
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
92.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय स्वीकृत	92. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	1476.20	...	1476.20	82
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
94.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वीकृत	94. Department of Empowerment of Persons With Disabilities	Voted	0.01	...	0.01	83
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
95.	अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत	95. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	84
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
98.	वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत	98. Ministry of Textiles	Voted	0.01	...	0.01	85
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
100.	जनजातीय कार्य मंत्रालय भारित स्वीकृत	100. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01	...	0.01	86
			Voted	0.02	...	0.02	
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
101.	महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	101. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.03	...	0.03	87
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
102.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्वीकृत	102. Ministry of Youth Affairs And Sports	Voted	3.71	...	3.71	88
कुल जोड़		GRAND TOTAL		195361.22	4938.32	200299.54	
			Charged	36.02	2988.43	3024.45	
			Voted	195325.20	1949.89	197275.09	
अनुबंध		ANNEXURE					89-90

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिये)
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	115489.37	115489.37
पूँजी	Capital	...	42.42	42.42
जोड़	Total	...	115531.79	115531.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	6.28	6.28
जोड़	Total	...	6.30	6.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100868.51	100868.51
पूँजी	Capital	...	39.02	39.02
जोड़	Total	...	100907.53	100907.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	216445.62	216445.62
राजस्व	Revenue	...	216357.90	216357.90
पूँजी	Capital	...	87.72	87.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	80390.53	(का) 80390.53
2402-मृदा और जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation	...	2.12	(खब) 2.12
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	15100.00	(गक) 15100.00
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	5.52	(घद) 5.52
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	236.77	(डेे) 236.77
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	5133.56	(चफ) 5133.56
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(छग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	100868.51	100868.51
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4401-फसल कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	27.58	(जह) 27.58
4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4435-Capital Outlay on Other Agricultural Programmes	...	3.47	(झा) 3.47
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूँजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	7.97	(टज) 7.97
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	39.02	39.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	100907.53	100907.53
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	(-)75000.00	(-)75000.00
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	(-)18500.00	(-)18500.00
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	(-)186.45	(-)186.45
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)5937.85	(-)5937.85
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)26.05	(-)26.05
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)99650.35	(-)99650.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 'सामान्य सहायता अनुदान (4157.84 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (552.08 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।
- (ii) पीएम-आशा योजना (1000 करोड़ रुपये) की मूल्य समर्थन योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करना।
- (iii) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) को वित्तपोषित करने हेतु 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' को 15000.00 करोड़ रुपये का अंतरण।
- (iv) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' को 60,000.00 करोड़ रुपये का अंतरण।
- (v) कृषि अवसंरचना और विकास निधि को 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अंतरण।
- अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 1257.17 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ख) मृदा एवं जल संरक्षण के तहत मजदूरी, चिकित्सा उपचार, पुरस्कार आदि (2.12 करोड़ रुपये)।
- अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ग) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 19500.00 करोड़ रुपये का अंतरण- 'संशोधित व्याज सबवेंशन योजना' (एमआईएसएस) (18500.00 करोड़ रुपये) अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि रु. 15100.00 करोड़ के लिए अनुपूरक की मांग की गई है।
- अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (घ) (i) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 686.45 करोड़ रुपये का अंतरण (186.45 करोड़ रुपये)। इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखने के बाद, शेष राशि 5.52 करोड़ रुपये के लिए अनुपूरक की मांग की गई है।
- (ii) कृषोन्नति योजना के कृषि विपणन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (527 करोड़ रुपये)
- अनुदान के एक ही अनुभाग में उपलब्ध मिलान वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कृषोन्नति योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (14.77 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (222.00 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (च) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 5937.85 करोड़ रुपये का अंतरण। अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि 5133.56 करोड़ रुपये के लिए अनुपूरक की मांग की गई है।
- अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (छ) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 26.05 करोड़ रुपये का अंतरण।
- अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ज) (i) फसल कृषि व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना (27.58 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (झ) अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना (3.47 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ट) अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना (रु. 7.97 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing additional 'Grants-in-aid General' (₹ 4157.84 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan (₹ 552.08 crore) towards meeting expenditure under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN).
- (ii) providing subsidy under Price Support Scheme of PM-Aasha Scheme (₹ 1000 crore).
- (iii) Transfer of ₹ 15000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY).
- (iv) Transfer of ₹ 60000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN).
- (v) additional transfer of ₹ 3500 crore to Agriculture Infrastructure and Development Fund.
- Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 1257.17 crore.
- (b) Wages, Medical Treatment, Rewards etc. under Soil and Water Conservation (₹ 2.12 crore).
- Taking into account the savings available in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) transfer of ₹ 19500.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Modified Interest Subvention Scheme' (MISS) (₹ 18500.00 crore). After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 15100.00 crore is sought.
- Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) (i) transfer of ₹ 686.45 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' (RKVY) (₹ 186.45 crore). After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 5.52 crore is sought.
- (ii) providing Grants-in-aid General under Agriculture Marketing of Krishonnati Yojana (₹ 527 crore).
- Taking into account the additional recoveries of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (e) Grants-in-aid General under Krishonnati Yojna (₹ 14.77 crore) and Grants-in-aid General under Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹ 222.00 crore) for North Eastern Areas.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (f) transfer of ₹ 5937.85 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme - 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 5133.56 crore is sought.
- Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (g) transfer of ₹ 26.05 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme - 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' (RKVY)).
- Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (h) (i) meeting expenditure under Capital Outlay on Crop Husbandry (₹ 27.58 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (i) meeting expenditure under Capital Outlay on Other Agricultural Programmes (₹ 3.47 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (j) meeting expenditure under Capital Outlay on other General Economic Services (₹ 7.97 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9493.59	9493.59
पूंजी	Capital	...	10.41	10.41
जोड़	Total	...	9504.00	9504.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.00	217.65	221.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	4.00	217.65	221.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	151.41	151.41
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	151.41	151.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4.00	9873.06	9877.06
राजस्व	Revenue	4.00	9862.65	9866.65
पूंजी	Capital	...	10.41	10.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	151.40	(का) 151.40
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	151.41	151.41

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (88.3262 करोड़ रुपये) और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (62.6238 करोड़ रुपये) ।
- (ii) 'कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन' के अंतर्गत पेंशन देनदारियों और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (130.50 करोड़ रुपये) ।
- (iii) 'कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.00 करोड़ रुपये) ।
- (iv) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (39.09 करोड़ रुपये)।
- (v) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (78.96 करोड़ रुपये) ।
- (vi) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.45 करोड़ रुपये) ।
- अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के पश्चात उपरोक्त व्यय में 150.95 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ख) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (34.84 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General (₹ 88.33 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹ 62.62 crore) of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes under 'Assistance to ICAR'.
- (ii) Grants-in-aid General for pensionary liabilities and other administrative expenses under 'ICAR Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹ 130.50 crore).
- (iii) Grants for Creation of Capital Assets under 'ICAR Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹ 2.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid General under 'Assistance to ICAR' (₹ 39.09 crore).
- (v) Grants for Creation of Capital Assets under 'Assistance to ICAR' (₹ 78.96 crore).
- (vi) Grants for Creation of Capital Assets under 'Assistance to ICAR' (₹ 0.45 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 150.95 crore
- Grants-in-aid General' under 'Assistance to ICAR' (₹ 34.84 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)
(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	17478.46	17479.46
पूँजी	Capital	...	17783.03	17783.03
जोड़	Total	1.00	35261.49	35262.49
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	600.60	600.60
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	600.60	600.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1450.64	1450.64
पूँजी	Capital	...	192.32	192.32
जोड़	Total	...	1642.96	1642.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	37505.05	37506.05
राजस्व	Revenue	1.00	19529.70	19530.70
पूँजी	Capital	...	17975.35	17975.35
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	329.66	(का) 329.66
2852-उद्योग	2852-Industries	...	1120.98	(खb) 1120.98
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1450.64	1450.64
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	192.32	(गc) 192.32
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1642.96	1642.96

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) मेसर्स टीवीईएल, रूस से केकेएनपीपी के लिए इंधन की खरीद और आरएपीएस को बकाया भुगतान (329.66 करोड़ रुपये) उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) एनएफसी, हैदराबाद के लिए स्थापना संबंधी व्यय (1120.98 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ग) स्थापना के अंतर्गत भारी जल संयंत्रों का संचालन और अनुरक्षण (192.32 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) procurement of Fuel for KKNPP from M/s TVEL, Russia and arrears payment to RAPS (₹ 329.66 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) Establishment related expenditure (₹ 1120.98 crore) for NFC, Hyderabad.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) Operation and Maintenance of Heavy Water Plants under Establishment (₹ 192.32 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय

MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3641.56	3641.56
पूँजी	Capital	...	5.94	5.94
जोड़	Total	...	3647.50	3647.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3647.54	3647.54
राजस्व	Revenue	...	3641.60	3641.60
पूँजी	Capital	...	5.94	5.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) विभिन्न बोर्डों को भुगतान के लिए राष्ट्रीय होमेयोपाथी आयोग के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत- (1.45 करोड़ रुपये) । (ii) दिल्ली और गोवा में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के भुगतान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत (0.80 करोड़ रुपये) । (iii) सीओई घटक के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए आयुस्वास्थ्य योजना के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (8.00 करोड़ रुपये) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Under Grants-in-aid General (₹ 1.45 crore) in respect of National Commission for Homoeopathy for payment to various boards. (ii) Under Grants-in-aid Salary (₹ 0.80 crore) in respect of All India Institute of Ayurveda, New Delhi for payment of newly recruited staff in Delhi and Goa. (iii) Under Grants-in-aid General (₹ 8.00 crore) in respect of Ayurswasthaya Yojana to meet the committed liabilities of ongoing projects under CoE component. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	172.55	172.55
पूंजी	Capital	...	0.90	0.90
जोड़	Total	...	173.45	173.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	104.26	104.26
पूंजी	Capital	...	399.95	399.95
जोड़	Total	...	504.21	504.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	677.66	677.66
राजस्व	Revenue	...	276.81	276.81
पूंजी	Capital	...	400.85	400.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	104.25 (खb)	104.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	104.26	104.26
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.77 (गc)	0.77
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	399.18 (घd)	399.18
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	399.95	399.95
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	504.21	504.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एनएसपी योजना को सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) एचआईएल (भारत लिमिटेड) (104.25 करोड़ रुपये), एनएसपी योजना को सामान्य सहायता अनुदान अर्थात् 'सीपीडीएस' (0.75 करोड़ रुपये) और आईपीएफटी के सीसीए घटक (1.5 करोड़ रुपये) को बकाया ऋण पर क्रमशः 40.84 करोड़ रुपये और 63.41 करोड़ रुपये का मूलधन और ब्याज राशि को बढ़े खाते डालना/माफ करना।
अनुदान के राजस्व/पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ग) मशीनरी और उपकरण (0.11 करोड़ रुपये) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) (0.64 करोड़ रुपये) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर (0.02 करोड़ रुपये)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (घ) एचआईएल (भारत) लिमिटेड को नया ऋण (486.74 करोड़ रुपये) उपरोक्त व्यय में 399.18 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय शामिल होगा

The supplementary Grants are required for:

- (a) GIA-General of NSP scheme (₹ 0.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) writing off/waiving off principal and interest amounting to ₹ 40.84 crore and ₹ 63.41 crore respectively on outstanding loan in respect of HIL (India) LTD. (₹ 104.25 cr), GIA-General of NSP scheme i.e. 'CPDS' (₹ 0.75 crore) and CCA component of IPFT (₹ 1.5 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) Machinery and Equipment (₹ 0.11 crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) (₹ 0.64 crore) and Furniture & Fixtures (₹ 0.02 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (d) fresh Loan to HIL(India) LTD. (₹ 486.74 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 399.18 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	179125.79	179125.79
पूँजी	Capital	...	2.69	2.69
जोड़	Total	...	179128.48	179128.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13350.83	13350.83
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	13350.83	13350.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3000.00	3000.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	3000.00	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	195479.31	195479.31
राजस्व	Revenue	...	195476.62	195476.62
पूँजी	Capital	...	2.69	2.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) पी एण्ड के उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (4900 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 3000 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (I) Nutrient Based Subsidy Scheme for P&K fertilizers (₹ 4900 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 3000 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3158.87	3158.87
पूँजी	Capital	...	1.19	1.19
जोड़	Total	...	3160.06	3160.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	64.25	64.25
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	64.25	64.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3224.33	3224.33
राजस्व	Revenue	...	3223.13	3223.13
पूँजी	Capital	...	1.20	1.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	64.25	64.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आरडीपीएल (64.25 करोड़ रुपये), पीपीडीएस के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) और औषध योजना के लिए पीएलआई के तहत सामान्य सहायता अनुदान (32 करोड़ रुपये) की ऋण राशि को बट्टे खाते डालना/माफ करना

अनुदान के पूँजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

write off/waiver off the loan amount of RDPL (₹ 64.25 crore), GIA-General under PPDS (₹ 2 crore) and GIA-General under PLI for Pharmaceuticals scheme (₹ 32 crore) .

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3026.70	3026.70
पूंजी	Capital	...	86.66	86.66
जोड़	Total	...	3113.36	3113.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	605.49	605.49
जोड़	Total	...	605.49	605.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	79.69	79.69
जोड़	Total	...	79.71	79.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3798.56	3798.56
राजस्व	Revenue	...	3026.72	3026.72
पूंजी	Capital	...	771.84	771.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	4.88 (गंc)	4.88
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	73.22 (घd)	73.22
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	1.59 (डेe)	1.59
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	79.69	79.69
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	79.71	79.71

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	'सब्सिडी' के तहत वीजीएफ में ऐलायंस एयर (क्षेत्रीय संबद्धता योजना) के व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(a)	meeting expenditure under 'Subsidies' in VGF to Alliance Air (Regional Connectivity Scheme) (₹ 30.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एएआई को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (15.00 करोड़ रुपये)।	(b) (i)	Grants for creation of Capital Assets to AAI for NE Region (₹ 15.00 crore).
(ii)	एईआरए को सामान्य सहायता अनुदान (0.28 करोड़ रुपये)।	(ii)	Grants-in-aid-General to AERA (₹ 0.28 crore).
(iii)	एईआरए को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (13.43 करोड़ रुपये)।	(iii)	Grants for Creation of Capital Assets to AERA (₹ 13.43 crore).
(iv)	एईआरए को वेतन सहायता अनुदान (3.17 करोड़ रुपये)।	(iv)	Grants-in-aid-Salaries to AERA (₹ 3.17 crore).
(v)	राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) को वेतन सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)।	(v)	Grants-in-aid-Salaries to National Aviation University (RGNAU) (₹ 0.50 crore).
(vi)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को सामान्य सहायता अनुदान (1.99 करोड़ रुपये)।	(vi)	Grants-in-aid-General to Indira Gandhi Rastriya Uran Academy (IGRUA) (₹ 1.99 crore).
(vii)	नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो में भूमि एवं भवन हेतु स्थानीय शुल्क, दर और कर (3.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(vii)	Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings in Bureau of Civil Aviation Security (₹ 3.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	<p>एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो में 'भवन और संरचना' के तहत संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भुगतान (4.88 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा</p>	(c)	<p>payment for construction of combined office building under 'Building and Structures' in Aircraft Accident Investigation Bureau (₹ 4.88 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
(घ)	<p>(i) नागरिक विमानन महानिदेशालय में 'स्थापना' के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय भवन और अन्य पूंजीगत व्यय (66.10 करोड़ रुपये) और वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक में स्थापना (1.10 करोड़ रुपये) के लिए भुगतान।</p> <p>(ii) नागरिक विमानन ब्यूरो में 'भवन और संरचना' (स्थापना) के तहत संयुक्त कार्यालय भवन और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान (6.02 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा</p>	(d)	<p>(i) payment for construction of combined office building and other capital expenditure under 'Establishment' in Director General Civil Aviation (₹ 66.10 crore) & Establishment in Controller of Aeronautical Inspection (DGCA) (₹ 1.10 crore).</p> <p>(ii) payment for construction of combined office building and other capital expenditure under 'Building & Structures' (Establishment) in Bureau of Civil Aviation Security (₹ 6.02 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
(ङ)	<p>एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो में 'मशीनरी और उपस्कर' के तहत आर्थिक सेवा के संबद्ध कार्यालय में पूंजीगत व्यय (1.59 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।</p>	(e)	<p>capital expenditure on attached offices of Economic Services under 'Machinery and Equipment' in Aircraft Accident Investigation Bureau (₹ 1.59 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5215.93	5216.43
पूंजी	Capital	...	38.15	38.15
जोड़	Total	0.50	5254.08	5254.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	145.01	145.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	145.01	145.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	659.87	659.87
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	659.87	659.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6058.96	6059.46
राजस्व	Revenue	0.50	6020.81	6021.31
पूंजी	Capital	...	38.15	38.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	659.87	659.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ब्याज समकरण योजना के तहत सब्सिडी (768 करोड़ रुपये)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 9.44 करोड़ रुपये की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में 108.13 करोड़ रुपये की बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में 650.43 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 768 crore) under Interest Equalisation Scheme
Taking into account the surrender of savings amounting to ₹ 9.44 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings amounting to ₹ 108.13 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 650.43 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6548.93	6548.93
पूंजी	Capital	...	1651.70	1651.70
जोड़	Total	...	8200.63	8200.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital	...	10.62	10.62
जोड़	Total	...	10.68	10.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8211.33	8211.33
राजस्व	Revenue	...	6549.01	6549.01
पूंजी	Capital	...	1662.32	1662.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2007 के तहत सब्सिडी (20 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) आईपीआर नीति प्रबंधन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (0.30 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Subsidies (₹20.00 crore) under the scheme North East Industrial Investment Promotion Policy, 2007
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹0.30 crore) under IPR Policy Management
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.17	39155.26	39156.43
पूंजी	Capital	...	1396.95	1396.95
जोड़	Total	1.17	40552.21	40553.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	183.75	183.75
जोड़	Total	...	183.76	183.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.17	40735.97	40737.14
राजस्व	Revenue	1.17	39155.27	39156.44
पूंजी	Capital	...	1580.70	1580.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	0.01	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	15.63	15.63
5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	168.12	168.12
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	183.75	183.75
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	183.76	183.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (233.30 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (15.04 करोड़ रुपये) और मोटर वाहन (0.59 करोड़ रुपये) हेतु 15.63 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
- (ग) अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
मोटर वाहन (11.08 करोड़ रुपये), भवन (12.40 करोड़ रुपये) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (144.64 करोड़ रुपये) हेतु 168.12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure on Professional Services (₹ 233.30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 15.63 crore towards Information and Communication Technology (₹ 15.04 crore) and Motor Vehicle (₹ 0.59 crore).
Taking into account savings available in the revenue section of the grant, this will not entail cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 168.12 crore towards Motor Vehicles (₹11.08 crore), Building (₹12.40 crore) and Information and Communication Technology (₹ 144.64 crore).
Taking into account savings available in the Revenue section of the Grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	41461.43	41461.43
पूंजी	Capital	...	66691.82	66691.82
जोड़	Total	...	108153.25	108153.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	8310.77	8310.77
जोड़	Total	...	8310.78	8310.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	96.85	96.85
जोड़	Total	...	96.86	96.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	116560.89	116560.89
राजस्व	Revenue	...	41461.45	41461.45
पूंजी	Capital	...	75099.44	75099.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	96.85	(ख) 96.85
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	96.86	96.86

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा योजना के तहत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के अंतर्गत सब्सिडी संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; निम्नलिखित हेतु व्यय का पुनः वर्गीकरण (i) अनुसंधान विकास-प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन (79.5 करोड़ रुपये); (ii) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता- बांड पर ब्याज का भुगतान (383.57 करोड़ रुपये); (iii) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-सरकार की बुनियादी परियोजनाओं के लिए पीएसयू को अनुदान (1.51 करोड़ रुपये); (iv) टेलीमैटिक्स के विकास के लिए स्वायत्त निकायों को सहायता (456.66 करोड़ रुपये); (v) निर्देशन और प्रशासन-स्वच्छता कार्य योजना (1.53 करोड़ रुपये); (vi) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई) बंगलोर को मुआवजा/वित्तीय राहत (154.30 करोड़ रुपये); (vii) संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान (7.47 करोड़ रुपये); (viii) भारतीय दूरसंचार सेवाओं (आईटीएस)/बिल्डिंग वर्क्स सर्विसेज (बीडब्ल्यूएस) अधिकारियों को प्रशिक्षण (3.37 करोड़ रुपये); (ix) उद्योगों/कंपनियों को सहायता-चौपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए प्रावधान (68.46 करोड़ रुपये); (x) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-पूंजी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2218 करोड़ रुपये); (xi) सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों को सहायता/स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भुगतान (2977.90 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure on Subsidies under Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan(PM-JANMAN) under the Scheme 'Compensation to service providers for universal service obligation'; Re-classification of following expenditure for (i) Research Development-Technology Development and Investment Promotion (₹ 79.5 crore); (ii) Assistance to Public sector and other undertakings-Payment of Interest on Bonds (₹ 383.57 crore); (iii) Assistance to Public sector and other undertakings-Sub vention to PSUs for Infra Projects of Government (₹ 1.51 crore); (iv) Assistance to Autonomous Bodies-Centre for Development of Telematics (₹ 456.66 crore); (v) Direction and Administration-Swacchta Action Plan (₹ 1.53 crore); (vi) Assistance to Public Sector and other Undertakings-Compensation /Financial Relief to Indian Telephone Industries Limited (ITI) Bangalore (₹ 154.30 crore); (vii) Training Institute for Communication Finance (₹ 7.47 crore); (viii) Training to Indian Telecommunication Services (ITS)/Building Works Services (BWS) Officers (₹ 3.37 crore); (ix) Assistance to Industries/Companies-Provision for Champion Service Sector Scheme (₹ 68.46 crore); (x) Assistance to Public Sector and other Undertakings-Grant for GST on 4G Spectrum – Grant-in-Aid-General (₹ 2218 crore); (xi) Assistance to Public Sector and other Undertakings/Incremental Pension Payment to voluntarily retiring BSNL and MTNL employees (₹ 2977.90 crore) Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

(ख)	<p>टेलीकॉम कंप्यूटर इमर्जेंसी टीम (टी-शर्ट) के लिए 220.63 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (96.85 करोड़ रुपये), संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान (25 करोड़ रुपये), बीएसएनएल हेतु सैटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना (1.05 करोड़ रुपये), टीआरएआई की भवन और संरचनाएं (97.55 करोड़ रुपये)</p> <p>अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए अनुदान के उसी खंड में 96.85 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।</p>	(b)	<p>meeting additional expenditure of ₹ 220.63 crore towards Telecom Computer Emergency Response Team (T-Cert) (₹ 96.85 crore), Training Institute for Communication Finance (₹ 25 crore), Establishment of Satellite Gateway Assistance to BSNL (₹ 1.05 crore), Building and Structures of TRAI (₹ 97.55 crore)</p> <p>Taking into account savings available in the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 96.85 crore.</p>
-----	--	-----	--

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15-16 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 15-16 of the First

Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	259.59	259.59
पूँजी	Capital	...	28.07	28.07
जोड़	Total	...	287.66	287.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	18.39	18.39
पूँजी	Capital	...	22.34	22.34
जोड़	Total	...	40.73	40.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	17.87	17.87
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	17.87	17.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	346.26	346.26
राजस्व	Revenue	...	295.85	295.85
पूँजी	Capital	...	50.41	50.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	17.87	17.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उपभोक्ता संरक्षण सेल के लिए कार्यालय व्यय के तहत व्यय की पूर्ति के लिए (17.87 करोड़ रुपये)
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under 'Office Expenses' for Consumer Protection Cell (₹ 17.87 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17-18 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 17-18 of the First

Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	205363.57	205363.57
पूंजी	Capital	...	25150.37	25150.37
जोड़	Total	...	230513.94	230513.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6995.41	6995.41
पूंजी	Capital	...	25.00	25.00
जोड़	Total	...	7020.41	7020.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	9383.48	9383.48
पूंजी	Capital	...	26.56	26.56
जोड़	Total	...	9410.04	9410.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	246944.39	246944.39
राजस्व	Revenue	...	221742.46	221742.46
पूंजी	Capital	...	25201.93	25201.93
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	152.45 (का)	152.45
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	9231.03 (खब)	9231.03
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	9383.48	9383.48
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	26.56 (गक)	26.56
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	9410.04	9410.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना के तहत विज्ञापन और प्रचार (152.45 करोड़ रुपये) उपरोक्त व्यय में of 152.45 करोड़ रुपये नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) (i) सब्सिडी के तहत पीएमजीकेवाई के तहत खाद्यान्न लेनदेन पर एफसीआई और अन्य देय को सब्सिडी (2454.03 करोड़ रुपये)
- (ii) सब्सिडी के तहत पीएमजीकेवाई के तहत खाद्यान्न को विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी (6777 करोड़ रुपये)
- (iii) योजना भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.99 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद 9231.03 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ग) एफसीआई के द्वारा निवेश के तहत खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण (26.56 करोड़ रुपये) होगा।
- उपरोक्त व्यय में 26.56 करोड़ रुपये नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) 'Advertising and Publicity' under Establishment (₹ 152.45 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 152.45 crore.
- (b) (i) Subsidy payable to FCI & others on foodgrains transactions under PMGKAY under 'Subsidies' (₹ 2454.03 crore).
- (ii) Subsidy to State Government on Decentralized Procurement of foodgrains under PMGKAY under 'Subsidies' (₹ 6777 crore).
- (iii) Grants-in-aid-General under 'Scheme Warehousing Development and Regulatory Authority' (₹ 0.99 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 9231.03 crore.
- (c) Construction of Food Storage godowns by FCI under 'Investment' (₹ 26.56 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 26.56 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)
(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3114.25	3114.25
पूँजी	Capital	...	285.40	285.40
जोड़	Total	...	3399.65	3399.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	260.35	260.35
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	260.37	260.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	35.50	35.50
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	35.51	35.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3695.53	3695.53
राजस्व	Revenue	...	3410.10	3410.10
पूँजी	Capital	...	285.43	285.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	35.50 (का)	35.50
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	35.51	35.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (I) क. निम्नलिखित के लिए 96.71 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान अपेक्षित है। 1. अकादमी को सहायता- 50 करोड़ रुपये 2. बीटीआई और स्मारक-4.44 करोड़ रुपये। 3. संग्रहालय को सहायता- 38.42 करोड़ रुपये 4. पुस्तकालय को सहायता- 3.85 करोड़ रुपये ख. पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु 9.78 करोड़ रुपये का अनुदान अपेक्षित है: 1. संग्रहालय को सहायता- 0.18 करोड़ रुपये। 2. पुस्तकालय को सहायता- 2.50 करोड़ रुपये। 3. बीटीआई और स्मारकों - 0.10 करोड़ रुपये। 4. अकादमी को सहायता- 7 करोड़ रुपये। ग. निम्नलिखित हेतु 2.88 करोड़ रुपये का वेतन सहायता अनुदान अपेक्षित है- 1. संग्रहालय को सहायता-2.88 करोड़ रुपये। घ. अन्य शीर्ष हेतु- शताब्दी और वर्षगांठ योजना के अंतर्गत 25.00 करोड़ रुपये और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत 10.50 करोड़ रुपये।
अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के पश्चात्, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (II) राष्ट्रीय पुस्तकालय - 8 करोड़ रुपये
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (I) A Grant-in-aid General of ₹ 96.71 cr. is required for:- 1. Support to Akademi - ₹ 50 cr. 2. BTI & Memorial- ₹ 4.44 cr. 3. Support to Museum- ₹ 38.42 cr. 4. Support to Libraries- ₹ 3.85 cr. B Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 9.78 cr. is required for:- 1. Support to Museum- ₹ 0.18 cr. 2. Support to Library- ₹ 2.50 cr. 3. BTI & Memorials- ₹ 0.10 cr. 4. Support to Akademies- ₹ 7 cr. C Grants for GIA-Salaries of ₹ 2.88 cr. is required for:- 1. Support to Museum- ₹ 2.88 cr. D For Other Heads - ₹ 25.00 crore under Centenaries and Anniversaries Scheme and ₹ 10.50 crore under Archaeological Survey of India

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) (II) National Library- ₹ 8 cr.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23-24 देखिये)
(See page 19-20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 23-24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.99	37068.72	37069.71
पूँजी	Capital	20.00	8829.79	8849.79
जोड़	Total	20.99	45898.51	45919.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.35	3198.42	3198.77
पूँजी	Capital	2.00	1525.00	1527.00
जोड़	Total	2.35	4723.42	4725.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.95	1209.81	1210.76
पूँजी	Capital	...	621.96	621.96
जोड़	Total	0.95	1831.77	1832.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	24.29	52453.70	52477.99
राजस्व	Revenue	2.29	41476.95	41479.24
पूँजी	Capital	22.00	10976.75	10998.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.95 (का)	186.57 (खb)	187.52
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	9.64 (गc)	9.64
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	173.32 (घd)	173.32
2055-पुलिस	2055-Police	...	138.53 (ङe)	138.53
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	519.00 (चf)	519.00
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	182.75 (छg)	182.75
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.95	1209.81	1210.76
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	241.35 (जh)	241.35
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	17.91 (झi)	17.91
4216-आवासन पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	5.45 (टj)	5.45
4858-अभियांत्रिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	4858-Capital Outlay on Engineering Industries	...	91.64 (ठk)	91.64
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	264.36 (डl)	264.36
7615-विविध ऋण	7615-Miscellaneous Loans	...	1.25 (ढm)	1.25
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	621.96	621.96
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.95	1831.77	1832.72

यह पूरक अनुदानविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सचिवालय सामान्य सेवा के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.95 करोड़ रुपये)
इसमें नकद व्यय होगा
- (ख) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के तहत 206.76 (करोड़ रुपये) रक्षा संपदा संगठन के तहत (49.48 करोड़ रुपये) सामान्य सहायता अनुदान (144.38 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (एसएपी), (0.50 करोड़ रुपये), पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (0.40 करोड़ रुपये) और स्थापना संबंधी व्यय (12 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 186.57 करोड़ रुपये के नकद पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Salaries under Secretariat General Services (₹0.95 crore)
This will entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 206.76 crore under Ministry of Defence (Secretariat) (₹ 49.48 crore), under Defence Estate Organisation towards Grants in aid General (₹ 144.38 crore), Grants in aid General (SAP)(₹ 0.50 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.40 crore) and Establishment related expenditure (₹ 12 crore).
- Taking into account the savings available in the grant, a cash supplementary of ₹ 186.57 crore is sought.

(ग)	वेतन के लिए (1.80 करोड़ रुपये) और स्थापना संबंधी व्यय (7.84 करोड़ रुपये) के लिए 9.64 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 9.64 crore towards Salary (₹ 1.80 crore) and Establishment related Expenditure (₹ 7.84 crore).
	इसमें नकद व्यय होगा		This will entail cash outgo.
(घ)	भत्ता (97.13 करोड़ रुपये), ईंधन और स्नेहक (52 करोड़ रुपये) और अन्य प्रशासनिक व्यय (29.63 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 178.76 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि। अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए 173.32 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(d)	Additional funds of ₹ 178.76 crore towards meeting expenditure under Allowances (₹ 97.13 crore), Fuels and Lubricants (₹ 52 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 29.63 crore). Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 173.32 crores as cash outgo.
(ङ)	वेतन और भत्ते के तहत जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के लिए 138.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 138.53 crore for Jammu and Kashmir Light Infantry towards Pay and Allowances. This will entail cash outgo.
(च)	सामग्री एवं आपूर्ति एवं अन्य स्थापना संबंधी व्यय के तहत कैंटीन स्टोर विभाग के लिए 519 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। मिलान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 126 करोड़ का नकद भुगतान शामिल होगा।	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 519 crore for Canteen Store Department under Material and Supplies and other Establishment related expenditure. Taking into account the matching receipts, this will entail cash outgo of ₹ 126 crore.
(छ)	सड़क रखरखाव के लिए सीमा सड़क संगठन के तहत (1 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव (37 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों और रखरखाव (124.75 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (रुपये) 5 करोड़ और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये) के 182.75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(g)	meeting additional expenditure of ₹ 182.75 crore under Border Road Organization for Road Maintenance (₹ 1 crore), Repair and Maintenance of National Highways (₹ 37 crore), Road and Maintenance of other than National Highways (₹ 124.75 crore), Grants in aid General (₹ 5 crore) and Grants in aid for creation of Capital Assets (₹ 15 crore). This will entail cash outgo.
(ज)	'भवन और संरचना' और 'अवसंरचना आस्तियों' के लिए राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के तहत 511.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त में नकद व्यय के रूप में 241.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।	(h)	meeting additional expenditure of ₹ 511.58 crore under Capital Outlay on Fiscal Services for 'Building and Structure' and 'Infrastructure Assets'. Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 241.35 crore as cash outgo.
(झ)	रक्षा संपदा संगठन (6.97 करोड़ रुपये) और रक्षा मंत्रालय सचिवालय (12.94 करोड़ रुपये) के लिए 19.91 रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त में नकद व्यय के रूप में 17.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे।	(i)	meeting additional expenditure of Rs 19.91 crore for Defence Estate Organization (₹ 6.97 crore) and Ministry of Defence Secretariat (₹ 12.94 crore). Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 17.91 crore as cash outgo.
(ट)	रक्षा प्रदर्शनी संगठन के तहत 5.45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(j)	meeting additional expenditure of ₹ 5.45 crore under Defence Exhibition Organization. This will entail cash outgo.
(ठ)	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को जारी किए गए बोनस शेयरों के समायोजन के लिए (91.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के एक ही अनुभाग में उपलब्ध मिलान वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;	(k)	meeting additional expenditure of (₹ 91.64 crore) towards adjustment of bonus shares issued to Bharat Dynamics Limited. Taking into account the matching receipts available in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ड)	वर्ष 2017-18 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जारी किये गये बोनस शेयरों के समायोजन के लिए 264.36 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के एक ही अनुभाग में उपलब्ध मिलान वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;	(l)	meeting additional expenditure of ₹ 264.36 crore towards adjustment of Bonus Shares issued in respect of Bharat Electronic Limited for the year 2017-18. Taking into account the matching receipts available in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ढ)	ऋण के तहत 1.25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(m)	meeting additional expenditure of ₹ 1.25 crore towards providing the loans. This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25-26 देखिये)
(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 25-26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	101.62	276931.99	277033.61
पूँजी	Capital
जोड़	Total	101.62	276931.99	277033.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.10	14992.90	15000.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	7.10	14992.90	15000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	7.90	13938.71	13946.61
पूँजी	Capital
जोड़	Total	7.90	13938.71	13946.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	116.62	305863.60	305980.22
राजस्व	Revenue	116.62	305863.60	305980.22
पूँजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	6.40 (का)	9162.36 (खb)	9168.76
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	1366.33 (गc)	1366.33
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	3326.52 (घd)	3326.52
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	1.50 (ङe)	83.50 (चf)	85.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	7.90	13938.71	13946.61

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	(-)67.64	(-)67.64

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालयी आदेश से उत्पन्न 'परिवहन (0.20 करोड़ रुपये)', 'सेवा निवृत्त अंशदान स्वास्थ्य योजना (0.20 करोड़ रुपये)', 'भंडार (3 करोड़ रुपये)', 'कार्य' (1 करोड़ रुपये) और सेना के 'राष्ट्रीय राइफल' (2 करोड़ रुपये) के (6.40 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को पूरा करने के लिए। इसमें 6.40 करोड़ रुपये का व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) वेतन एवं भत्ते-सेना (5160.50 करोड़ रुपये), वेतन एवं भत्ते-एयूएफ्स फोर्स (1209 करोड़ रुपये), परिवहन (500.10 करोड़ रुपये), 'ईसीएचएस' (1189.74 करोड़), 'भंडार' (956.29 करोड़ रुपये), 'कार्य' (149.51 करोड़ रुपये), सेना के राष्ट्रीय राइफल (553.58 करोड़ रुपये) और 'अन्य व्यय' (870.24 करोड़ रुपये) के लिए 10588.96 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसी खंड में उपलब्ध प्रतिपूर्तियों और बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 9,162.36 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।
- (ग) 'पीएंडए-नौसेना (156.06 करोड़ रुपये)' 'परिवहन' (161.50 करोड़ रुपये), 'मरम्मत एवं दुरुस्तीकरण' (296.00 करोड़ रुपये), 'भंडार' (1,233.87 करोड़ रुपये), 'कार्य' (43.85 करोड़ रुपये), और नौसेना के 'अन्य व्यय' (259.05 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय 2150.33 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 6.40 crore towards payments arising out of Court Orders for Transportation (₹ 0.20 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 0.20 crore), Stores (₹ 3 crore), Works (₹ 1 crore) and Rashtriya Rifles (₹ 2 crore) of Army. This will entail a cash out go for ₹ 6.40 crore.
- (b) Meeting additional expenditure of ₹ 10588.96 crore, Pay & Allowances- Army (₹ 5160.50 crore), Pay & Allowances-Aux forces (₹ 1209 crore), Transportation (₹ 500.10 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 1189.74 crore), Stores (₹ 956.29 crore), Works (₹ 149.51 crore), Rashtriya Rifles (₹ 553.58 crore and Other Expenditure (₹ 870.24 crore) for Army. Taking into account additional recoveries and saving available in the same section, this will entail a cash outgo for ₹ 9,162.36 crore.
- (c) Meeting additional expenditure of ₹ 2150.33 crore, P&A-Navy (₹ 156.06 crore) transportation (₹ 161.50 crore), repairs & refits (₹ 296.00 crore), stores (₹ 1,233.87 crore), works (₹ 43.85 crore), and other expenditure (₹ 259.05 crore) for Navy.

	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 1,366.33 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।			Taking into account savings available in the same section of the grant, this will entail cash out go for ₹ 1,366.33 crore.
(घ)	'भंडार' (3,365.52 करोड़ रुपये) और वायुसेना की 'विशेष परियोजनाओं' (1.50 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय 3367.02 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए।	(d)		meeting additional expenditure of ₹ 3367.02 crore, stores (₹ 3,365.52 crore) and Special Projects (₹ 1.50 crore) for Air Force.
	इसी खंड में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 2928.52 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।			Taking into account the additional receipts and savings available in the same section, this will entail a cash outgo for ₹ 2928.52 crore.
(ङ)	न्यायालयी आदेशों से उत्पन्न अनुसंधान विकास संगठन के (अन्य व्यय) के लिए 1.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को पूरा करने के लिए।	(e)		Meeting additional expenditure of ₹ 1.58 crore towards payments arising out of Court Orders for (Other Expenditure) of Research Development Organisation.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें (1.50 करोड़ रुपये) का नकद व्यय शामिल होगा।			Taking into account savings available in the same section, this will entail cash out go for (₹ 1.50 crore).
(च)	'पीएंडए-सिविलियनों' (200 करोड़ रुपये) 'भंडार' (32.08 करोड़ रुपये) और अनुसंधान एवं विकास के 'अतिरिक्त व्यय' (35.32 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(f)		Meeting additional expenditure of ₹ 267.40 crore, P&A-Civilians (₹ 200 crore), Stores (₹ 32.08 crore) and Other Expenditure (₹ 35.32 crore) for Research & Development.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें (83.50 करोड़ रुपये) का नकद व्यय शामिल होगा।			Taking into account savings available in the same section this will entail cash out go (₹ 83.50 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	115.42	162484.58	162600.00
जोड़	Total	115.42	162484.58	162600.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	1.00	0.01	1.01
जोड़	Total	1.00	0.01	1.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	28.87	0.01	28.88
जोड़	Total	28.87	0.01	28.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	145.29	162484.60	162629.89
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	145.29	162484.60	162629.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	28.87 (का)	0.01 (खब)	28.88

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (0.50 करोड़ रुपये), सेना के लिए निर्माण कार्य (30 करोड़ रुपये), नौसेना के लिए भूमि (0.18 करोड़ रुपये) और न्यायालय के आदेश से उत्पन्न निर्माण कार्य (वायु सेना के लिए 17.45 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 48.13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में और स्वीकृत भाग में उपलब्ध 28.87 करोड़ रुपये के मिलान बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भूमि (75.86 करोड़ रुपये), रोलिंग स्टॉक (37 करोड़ रुपये), सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (36 करोड़ रुपये), अन्य उपकरण (5700 करोड़ रुपये), नौसेना का नौसेना बेड़ा (245 करोड़ रुपये) भूमि (121.84 करोड़ रुपये), विमान और एयरोइंजन (391.55 करोड़ रुपये) वायु सेना के अन्य उपकरण (1715.90 करोड़ रुपये) और अनुसंधान एवं विकास की मशीनरी और उपकरण (142.85 करोड़ रुपये) रुपये के अंतर्गत 8466 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Meeting additional expenditure of ₹ 48.13 crore for Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 0.50 crore), Construction Works (₹ 30 crore) for Army, Land (₹ 0.18 crore) for Navy and Construction Works (₹ 17.45 crore) for Air Force towards expenditure arising out of court order.

Taking into account matching savings available in the same section of the grant and ₹ 28.87 crore in the voted section, this will not entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 8466 crore under Land (₹ 75.86 crore), Rolling Stock (₹ 37 crore), Rashtriya Rifles (₹ 36 crore) of Army, Other equipment (₹ 5700 crore), Naval Fleet (₹ 245 crore) of Navy, Land (₹ 121.84 crore), Aircraft & Aeroengines (₹ 391.55 crore) Other Equipment (₹ 1715.90 crore) of Air Force and Machinery & Equipment (₹ 142.85 crore) of Research & Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.88	138203.12	138205.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.88	138203.12	138205.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3890.88	3890.88
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3890.88	3890.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.88	142094.00	142095.88
राजस्व	Revenue	1.88	142094.00	142095.88
पूंजी	Capital
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	3890.88	3890.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों (3882.18 करोड़ रुपये), पारितोष (5.20 करोड़ रुपये) और पेंशन प्रशासन -रक्षा (स्पर्श) सेवाएं (3.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु 3890.88 करोड़ रुपये।

अनुदान के भारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त 3,890 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 3890.88 crore towards Pensions and Other Retirement Benefits (₹ 3882.18 crore), Rewards (₹ 5.20 crore) and Systems for Pensions Administration-Raksha (SPARSH) Services (₹ 3.50 crore).

Taking into account the savings available in the charged section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 3,890 crore;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1798.75	1798.75
पूँजी	Capital	...	4093.25	4093.25
जोड़	Total	...	5892.00	5892.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5892.03	5892.03
राजस्व	Revenue	...	1798.76	1798.76
पूँजी	Capital	...	4093.27	4093.27
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के अधीन (i) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सिक्किम खनन निगम के ऋणों पर छूट देने के लिए 0.54 करोड़ रुपये के समाशोधन; और (ii) पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति और एरियर के भुगतान के लिए 1.52 करोड़ रुपये।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में पूर्वोत्तर संसाधन केन्द्र (एनईआरसीईएन) के लिए नई मशीनरी और उपस्कर (0.31 करोड़ रुपये) और नए कम्प्यूटर (0.24 करोड़ रुपये) की लागत के निमित्त।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) ₹ 0.54 crore towards accounting adjustment for waiver of loan of Sikkim Mining Corporation during financial year 2023-24; and (ii) ₹ 1.52 crore towards payment of scholarships and arrears to eligible students under the Schemes of North-East Council.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Towards cost of new machinery and equipment (₹ 0.31 crore) and new computers (₹ 0.24 crore) for North East Resource Centre (NERCEN) in North-East Council Secretariat.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	104804.30	104804.30
पूंजी	Capital	0.55	0.55
जोड़	Total	104804.85	104804.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.04	0.04
पूंजी	Capital	0.10	0.10
जोड़	Total	0.14	0.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	3668.88	3668.88
पूंजी	Capital
जोड़	Total	3668.88	3668.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	108473.87	108473.87
राजस्व	Revenue	108473.22	108473.22
पूंजी	Capital	0.65	0.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	3668.85	(क) (क)	3668.85
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(ख) (ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01	(ग) (ग)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	0.01	(घ) (घ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	3668.88		3668.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) की योजना में पुरस्कार (0.02 करोड़ रुपये), समय शिक्षा योजना में व्यवसायिक सेवा (5.00 करोड़ रुपये), समय शिक्षा योजना में पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.75 करोड़ रुपये), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण (11000 करोड़ रुपये)।
- समान बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें केवल (3668.85 करोड़ रुपये) का नकद व्यय होगा।
- (ख) समय शिक्षा योजना में सामान्य सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपये). समय शिक्षा योजना में पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (6.60 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) समय शिक्षा योजना में सामान्य सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपये), समय शिक्षा योजना में पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (134.36 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) समय शिक्षा योजना में सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये), समय शिक्षा योजना में पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.01 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Rewards in the Scheme of Directorate of Adult Education (DAE) (₹ 0.02 crore), Professional Services in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 5.00 crore), Grants for creation of Capital Assets in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 2.75 crore), Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh of (₹ 11000 crore) Taking into account the matching Savings, there will only be a Cash outgo of (₹ 3668.85 crore)
- (b) Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.90 crore), Grants for creation of Capital Assets in the scheme of Samagra Shiksha (₹ 6.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 1.50 crore), Grants for creation of Capital Assets in the scheme of Samagra Shiksha (₹ 134.36 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.01 crore), Grants for creation of Capital Assets in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.01 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	50082.10	50082.10
पूँजी	Capital	...	12.52	12.52
जोड़	Total	...	50094.62	50094.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	649.88	649.88
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	649.88	649.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	12500.00	12500.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	12500.00	12500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	63244.50	63244.50
राजस्व	Revenue	...	63231.98	63231.98
पूँजी	Capital	...	12.52	12.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	6500.00 (का)	6500.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	6000.00 (खब)	6000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	12500.00	12500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विश्व स्तरीय संस्थान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपये)
विश्व स्तरीय संस्थान योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (180 करोड़ रुपये)।
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अतिरिक्त अंतरण (6,500 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 6500.00 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (46.50 करोड़ रुपये) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (6.08 करोड़ रुपये)।
भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता योजनाओं के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (25.41 करोड़ रुपये) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (47.56 करोड़ रुपये)।
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अतिरिक्त अंतरण (6000 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 6000.00 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General under scheme of World Class Institutions [₹ 20 Crore]
Grants for creation of capital assets under scheme of World Class Institutions [₹ 180 Crore]
Additional transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (₹ 6,500 Crore).
Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of Rs 6500.00 crore
- (b) Grants-in-aid General under scheme of Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 46.50 Crore] and Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 6.08 Crore]

'Grants for creation of capital assets under schemes of Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 25.41 crore] and Support to Indian Institute(s) of Information Technology [₹ 47.56 Crore],
Additional transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (₹ 6,000 Crore).
Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of Rs 6000.00 crore

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3576.27	3576.27
पूँजी	Capital	...	145.38	145.38
जोड़	Total	...	3721.65	3721.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	92.57	92.57
पूँजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	92.60	92.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	126.10	126.10
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	126.10	126.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3940.35	3940.35
राजस्व	Revenue	...	3794.94	3794.94
पूँजी	Capital	...	145.41	145.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01 (का)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	126.09 (खब)	126.09
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	126.10	126.10

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित हेतु प्रावधान को बढ़ाना (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत भारतीय वाणिकी अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण संस्थान (आईसीएफआरई) (5.00 करोड़ रुपये) (ii) वन सहायता अनुदान के अंतर्गत भारतीय वन्य जीवन संस्थान (1.60 करोड़ रुपये) और (iii) सामान्य सहायता (9.95 करोड़ रुपये) और वन सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रुपये) के अंतर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) निम्नलिखित हेतु प्रावधान को बढ़ाना (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत भोपाल गैस रिसाव आपदा से संबंधित उपचार और अपशिष्ट निपटान कार्य (126.09 करोड़ रुपये) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (2.30 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (1.10 करोड़ रुपये) को सहायता। (ii) वन सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपये) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (10.00 करोड़ रुपये) के अंतर्गत जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान को सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) augmenting provision for (i) Indian Council of Forestry Research and Training Institute (ICFRE) under Grants-in-aid-General (₹ 5 crore) (ii) Wildlife Institute of India under Grants-in-aid-Salaries (₹ 1.60 crore) and (iii) Central Zoo Authority under Grants-in-aid-General (₹ 9.95 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.05 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) augmenting provision for (i) remediation and waste disposal works related to Bhopal Gas Leak Disaster (₹ 126.09 crore), Botanical Survey of India (₹ 2.30 crore) and National Biodiversity Authority (₹ 1.10 crore) under Grants-in-aid-General and (ii) GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development under Grants-in-aid-Salaries (₹ 1 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 10 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	16534.76	16534.79
पूँजी	Capital	...	1520.21	1520.21
जोड़	Total	0.03	18054.97	18055.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10616.16	10616.16
पूँजी	Capital	...	9513.74	9513.74
जोड़	Total	...	20129.90	20129.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	38184.89	38184.92
राजस्व	Revenue	0.03	27150.94	27150.97
पूँजी	Capital	...	11033.95	11033.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(का) 0.01
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मुद्रण और प्रकाशन के तहत पुस्तकालय के लिए खरीदी गई ऑनलाइन पुस्तकों का भुगतान (4.51 करोड़ रुपये) और (ii) सीपीडब्ल्यूडी और जवाहरलाल नेहरू भवन के रखरखाव के लिए (6.50 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) दावों की प्रतिपूर्ति (4.17 करोड़ रुपये), विवेकाधीन अनुदान के लिए धनराशि (672.52 करोड़ रुपये) और अन्य राजस्व व्यय के तहत युद्ध और नागरिक अशांति के कारण विदेशों से भारतीयों को निकालने के लिए आवश्यक धनराशि (50 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) payment (i) of online books purchased for library (₹ 4.51 crore) under Printing and Publication and (ii) to CPWD and maintenance of Jawaharlal Nehru Bhawan (₹ 6.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) reimbursement of claims (₹ 4.17 crore), funds for discretionary grants (₹ 672.52 crore) and funds required for evacuation of Indians from abroad due to war and civil disturbance (₹ 50 crore) under Other Revenue Expenditure.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6909.09	6909.09
पूँजी	Capital	...	8227.45	8227.45
जोड़	Total	...	15136.54	15136.54
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1438.46	1438.46
पूँजी	Capital	...	6840.03	6840.03
जोड़	Total	...	8278.49	8278.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5000.00	5000.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	5000.00	5000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	28415.03	28415.03
राजस्व	Revenue	...	13347.55	13347.55
पूँजी	Capital	...	15067.48	15067.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services	...	5000.00	5000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण (5000.00 करोड़ रुपये)
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

transfer to Senior Citizen Welfare Fund (₹ 5000.00 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	389.26	389.26
पूंजी	Capital	...	128.08	128.08
जोड़	Total	...	517.34	517.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	517.36	517.36
राजस्व	Revenue	...	389.26	389.26
पूंजी	Capital	...	128.10	128.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सरकारी वाहनों की खरीद (0.44 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

purchase of official vehicles (₹ 0.44 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

वित्तीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1112.35	1112.35
पूंजी	Capital	...	262.31	262.31
जोड़	Total	...	1374.66	1374.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1992.68	1992.68
पूंजी	Capital	...	8329.54	8329.54
जोड़	Total	...	10322.22	10322.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	985.00	985.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	985.00	985.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	12681.88	12681.88
राजस्व	Revenue	...	4090.03	4090.03
पूंजी	Capital	...	8591.85	8591.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	3465-General Financial and Trading Institutions	...	985.00	985.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

“रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य की भीम-यूपीआई लेन देनों (पी2एम) के बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना” को भुगतान (985 करोड़ रुपये)।
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

payment on "Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)" (₹ 985 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	189707.53	189707.53
पूंजी	Capital	...	119.84	119.84
जोड़	Total	...	189827.37	189827.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	344.14	344.14
पूंजी	Capital	...	179.82	179.82
जोड़	Total	...	523.96	523.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	84.12	84.12
पूंजी	Capital	...	7.10	7.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	190442.55	190442.55
राजस्व	Revenue	...	190135.79	190135.79
पूंजी	Capital	...	306.76	306.76
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	84.12	(का) 84.12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	7.10	(खब) 7.10
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	91.22	91.22

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) बढ़ती परिचालनात्मक गतिविधि और नए कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रवर्तन निदेशालय (84.12 करोड़ रुपये) के स्थापना संबंधी व्यय।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) अपीलीय प्राधिकरण के व्यापक कम्प्यूटराइजेशन/अंकीकरण और अन्य संबंधित कार्य।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) establishment related expenditure of Enforcement Directorate (₹ 84.12 crore) on account of increased operational activity and establishment of new offices.

The above expenditure will entail a cash outgo;

comprehensive computerization/digitization of the Appellate Tribunal and other related work.

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)
(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8282.87	8282.87
पूँजी	Capital	...	1610.00	1610.00
जोड़	Total	...	9892.87	9892.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	535.42	535.42
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	535.43	535.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10428.32	10428.32
राजस्व	Revenue	...	8818.29	8818.29
पूँजी	Capital	...	1610.03	1610.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(का) 0.01
4216-आवासन पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (23.00 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) लखनऊ में आवासीय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद हेतु (74.46 करोड़ रुपये) (ii) आयकर विभाग के लिए सेक्टर 39बी चंडीगढ़ में दो खाली प्लॉट्स की खरीद हेतु (7.04 करोड़ रुपये) और (iii) जैसलमेर में प्लॉट्स बी2 में भूमि की खरीद हेतु नगरपालिका जैसलमेर को भुगतान (0.22 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) purchase of land for construction of Office Building at Vijayawada (A.P)[₹ 23.00 crore].
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Purchase of land for construction of residential building at Lucknow [₹ 74.46 crore] (ii) purchase of two vacant plots in Sector - 39B Chandigarh for the Income Tax Department [₹ 7.04 crore] and (iii) additional payment to Nagarpalika Jaisalmer for land purchased at Plot B2 [₹ 0.22 crore] in Jaisalmer.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)
(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	36305.58	36305.58
पूंजी	Capital	...	2205.00	2205.00
जोड़	Total	...	38510.58	38510.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	2.66	2.66
जोड़	Total	...	2.66	2.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	38513.27	38513.27
राजस्व	Revenue	...	36305.59	36305.59
पूंजी	Capital	...	2207.68	2207.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	0.01	(खb) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) चालू वर्ष में स्कॉल की जा रही पिछली देनदारियों के कारण निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी वर्तमान) हेतु 600.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) अनुदान के पूंजीगत भाग के तहत स्थापना संबंधी व्यय अर्थात्, मोटर वाहन, मशीनरी एवं उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, आईसीटी उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स एवं अन्य निर्धारित आस्तियों को पूरा करने के लिए 388.95 करोड़ रुपये की निधि की अतिरिक्त आवश्यकता।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) डीजीजीआई लखनऊ के लिए भूमि की खरीद हेतु (3.91 करोड़ रुपये) और डीजीजीआई, भोपाल के लिए भूमि की खरीद हेतु (0.01 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त आवश्यकता
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) additional requirement of ₹ 600.00 crores for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP Current) on account of past liabilities being scrolled in current year.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional requirement of funds of ₹ 388.95 crore for meeting establishment related expenditure i.e., Motor Vehicle, Machinery & Equipment, Other Capital Expenditure, ICT equipments, Furniture & Fixtures and other Fixed Assets under Capital Section of the Grant.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) additional requirement of funds for procurement of Land for DGGI Lucknow (₹ 3.91 crore) and land for DGGI, Bhopal (0.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	400.00	72301.00	72701.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	400.00	72301.00	72701.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3000.00	3000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3000.00	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	400.00	75301.00	75701.00
राजस्व	Revenue	400.00	75301.00	75701.00
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अधिवषता और सेवानिवृत्ति भत्ता, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, अवकाश नकदीकरण, अधिशेष के रूप में घोषित केंद्र सरकार के कर्मचारी (सीजीई) को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से उत्पन्न अनुग्रह पेंशन, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार और अन्य पेंशनों (3,000 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में 3000 हजार करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Superannuation and Retirement Allowance, Gratuities, Family Pensions, Leave Encashment, Ex-gratia Pension arising out of special Voluntary Retirement Scheme (VRS) to Central Government Employee (CGE) declared as surplus, Defined Contribution Pension Scheme (DCPS), Pensionary charges in respect of retirees/deceased employees of Govt. of NCT Delhi and Other Pensions (₹ 3,000 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3,000 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	165480.00	39340.01	204820.01
पूँजी	Capital	26650.00	128000.02	154650.02
जोड़	Total	192130.00	167340.03	359470.03
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now			
पूरक अनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	2950.00	...	2950.00
जोड़	Total	2950.00	0.02	2950.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	195080.00	167340.05	362420.05
राजस्व	Revenue	165480.00	39340.03	204820.03
पूँजी	Capital	29600.00	128000.02	157600.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(क) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	2950.00	(ग) ...	2950.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2950.00	0.02	2950.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)2000.00	(-)2000.00

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) को 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का अन्तरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए विशेष सहायता के रूप में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय और (ii) विदेशी सहायता परियोजनाओं (अनुदान) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) विदेशी सहायता परियोजनाओं (एकमुश्त ऋण) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2950 करोड़ रुपये प्रदान करना। इस राशि का मिलाव 2326.52 करोड़ रुपये की प्रतियाँ से किया जायेगा। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत की समतुल्य राशि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Additional amount of ₹ 20 crore for transfer to National Disaster Response Fund (NDRF). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Additional expenditure of ₹ 1000 crore towards Special Assistance as grants in aid for creation of capital assets; and (ii) ₹ 100 crore towards additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Grants). Taking into account the savings available and additional recoveries in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo. Providing ₹ 2950 crore as additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans). This will be matched with Receipts amounting to ₹ 2326.52 crore. Taking into account equivalent amount of savings available under voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52-53 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 52-53 of the First

Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

पूरक अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

...	4649.09	4649.09
...	38.76	38.76
...	4687.85	4687.85
...	0.02	0.02
...	147.32	147.32
...	147.34	147.34
...	0.02	0.02
...
...	0.02	0.02
...	4835.21	4835.21
...	4649.13	4649.13
...	186.08	186.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2403-पशु पालन

2404-डेयरी विकास

जोड़ (राजस्व भाग)

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2403-Animal Husbandry

2404-Dairy Development

Total (Revenue Section)

...	0.01	(का) 0.01
...	0.01	(खb) 0.01
...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (62.77 करोड़ रुपये) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (5 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) नई मद शीर्ष के लिए डेयरी विकास के तहत सब्सिडी (10 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Grants-in-aid General (₹ 62.77 crore) and for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 5 crore) under Rashtriya Gokul Mission. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Subsidies under Dairy Development for new object head (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54-55 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 54-55 of the First

Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3285.19	3285.19
पूंजी	Capital	...	2.46	2.46
जोड़	Total	...	3287.65	3287.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	745.01	745.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	745.01	745.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4032.69	4032.69
राजस्व	Revenue	...	4030.22	4030.22
पूंजी	Capital	...	2.47	2.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	745.00	(का)	745.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	745.01		745.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	(-)745.00		(-)745.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि में 745 करोड़ रुपये का अन्तरण अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध बचत।
अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध मिलान वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ख) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की पीएम औपचारिकता योजना के तहत 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (15.90 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) transfer of ₹ 745 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Grants-in-aid General for 'North Eastern Region (NER)' under the scheme PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (₹ 15.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	99382.66	99382.66
पूँजी	Capital	...	5300.34	5300.34
जोड़	Total	...	104683.00	104683.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूँजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	0.11	0.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	104683.17	104683.17
राजस्व	Revenue	...	99382.77	99382.77
पूँजी	Capital	...	5300.40	5300.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परियोजना	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (डे)	0.01
4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परियोजना	4211-Capital Outlay on Family Welfare	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹92.39 करोड़) 1. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹86.03 करोड़) - सामान्य घटक के लिए - ₹ 67.89 करोड़ - एससी के लिए घटक - ₹ 18.14 करोड़ 2. टेलीमेडिसिन (₹ 6.24 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 0.12 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए (₹0.70 करोड़) पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुदान (₹0.70 करोड़)।
- (iii) 1. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लचीले पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 11.29 करोड़) के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा अतिरिक्त व्यय (₹ 35.11 करोड़) को पूरा करने के लिए - पुरस्कार (₹ 0.01 करोड़) - भत्ता (₹ 7.20 करोड़) - अवकाश यात्रा रियायत (₹ 0.11 करोड़) - प्रशिक्षण व्यय (0.01 करोड़) - दूसरों के लिए किराया (₹ 0.05 करोड़) - डिजिटल उपकरण (₹ 0.11 करोड़) - मरम्मत और रखरखाव (₹ 3.80 करोड़) 2. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (₹ 0.16 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.15 करोड़) - अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.01 करोड़) 3. मेडिकल स्टोर डिपो (₹ 2.34 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.29 करोड़) - डिजिटल उपकरण (₹ 1.89 करोड़) - मरम्मत और रखरखाव (₹ 0.16 करोड़) 4. सफदरजंग

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in aid General for meeting additional requirement (₹ 92.39 crore) for 1. Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) – National Health Authority (₹ 86.03 crore) - for General component – ₹ 67.89 crore - for SC component - ₹ 18.14 crore 2. Telemedicine (₹ 6.24 crore) 3. National Mental Health Programme (₹ 0.12 crore).
- (ii) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement (₹0.70 Crore) for National Drugs De-addiction Programme (₹0.70 Crore).
- (iii) For meeting additional expenditure (₹ 35.11 Crore) on other than Grants-in-aid in respect of 1. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 11.29 crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) - Allowance (₹ 7.20 Crore) - Leave Travel Concession (₹ 0.11 crore) - Training Expenses (0.01 crore) - Rent for Others (₹0.05 Crore) - Digital Equipment (₹ 0.11 Crore) - Repairs and Maintenance (₹ 3.80 Crore) 2. Director General of Health Services (₹ 0.16 Crore) for - Rewards (₹ 0.15 Crore) - Other revenue Expenditure (₹ 0.01 Crore) 3. Medical Store Depot (₹ 2.34 Crore) for - Reward

अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 2.45 करोड़) - पुरस्कार (₹ 2.45 करोड़) 5. केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 6. अखिल भारतीय संस्थान ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, मुंबई (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 7. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल (₹ 0.01 करोड़) के लिए - पुरस्कार (₹ 0.01 करोड़) 8. राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली (₹ 0.05 करोड़) के लिए - प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.01 करोड़) - अन्य के लिए किराया (₹ 0.04 करोड़) 9. हवाई अड्डा संगठन सहित बंदरगाह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (₹ 0.06 करोड़) - अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.06 करोड़) 10. राष्ट्रीय टी.बी. प्रशिक्षण संस्थान, बंगलुरु (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 11. केंद्रीय कुछ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 12. क्षेत्रीय कुछ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 13. क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 14. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 15. प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (₹ 2.80 करोड़) - छोटे सिविल और इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए (₹ 2.80 करोड़) 16. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (₹ 0.03 करोड़) - ईंधन और स्नेहक (₹ 0.03 करोड़) 17. बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 18. केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (₹ 0.20 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.20 करोड़) 19. इंस्टीट्यूट ऑफ सेरोलॉजी, कोलकाता (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 20. अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (₹ 0.51 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) - एसएपी - अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.50 करोड़) 21. बाल देखभाल प्रशिक्षण केंद्र, सिंगुर (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 22. केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, एन. दिल्ली (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 23. ट्रॉमा सेंटर्स के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 0.10 करोड़) - प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.10 करोड़) 24. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) - (ईएपी) (₹ 15.00 करोड़) - व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 15.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) एनआरएचएम (₹ 37.99 करोड़) के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश और प्रशासन के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 37.99 करोड़)

(ii) 1. बुनियादी ढांचे के रखरखाव के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा अतिरिक्त व्यय (₹ 12.25 करोड़) को पूरा करने के लिए - विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेश (₹ 10.75 करोड़) - पुरस्कार (₹ 0.05 करोड़) - भता (₹ 10.60 करोड़) - अवकाश यात्रा रियायत (₹ 0.08 करोड़) - प्रशिक्षण व्यय (0.02 करोड़) 2. पीएम-एबीएचआईएम का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन - व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 1.50 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) (i) 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (₹ 526.46 करोड़)। आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 400.00 करोड़) 2. आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) के तहत - (₹ 2.86 करोड़) - सामान्य घटक के लिए - ₹ 1.92 करोड़ - एससी घटक के लिए - ₹ 0.59 करोड़ - एसटी घटक के लिए - ₹ 0.35 करोड़ 3. अवसरचना का रखरखाव (₹ 38.30 करोड़) - सामान्य घटक के लिए ₹ 8.10 करोड़ - एसटी घटक के लिए ₹ 30.20 करोड़ 4. राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना - ईएपी - (पीएम-एबीएचआईएम) (₹ 85.30 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(घ) (i) सामान्य सहायता अनुदान - 1. एफडब्ल्यू-इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (45.29 करोड़ रुपये) जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के तहत - प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए - (₹ 12.28 करोड़) 2. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के तहत - प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए - (₹ 33.01 करोड़)।

(₹ 0.29 Crore) - Digital Equipment (₹ 1.89 Crore) - Repair and Maintenance (₹ 0.16 Crore) 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 2.45 Crore) for - Rewards (₹ 2.45 Crore) 5. Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 6. All India Inst. of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 7. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 8. Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (₹ 0.05 Crore) for - Training Expenses (₹ 0.01 Crore) - Rent for others (₹ 0.04 Crore) 9. Port Health Establishment including Airport Organisation (₹ 0.06 Crore) for - Other revenue Expenditure (₹ 0.06 Crore) 10. National T.B. Training Institute, Bengaluru (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 11. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 12. Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 13. Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 14. National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 15. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) (₹ 2.80 Crore) for - Minor Civil and Electric Works (₹ 2.80 Crore) 16. Central Drugs Standards Control Organisation (₹ 0.03 Crore) for - Fuels and lubricants (₹ 0.03 Crore) 17. B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 18. Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.20 Crore) for - Rewards (₹ 0.20 Crore) 19. Institute of Serology, Kolkata (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 20. All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata (₹ 0.51 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) - SAP - Other Revenue Expenditure (₹ 0.50 Crore) 21. Child Care Training Centre, Singur (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 22. Central Health Education Bureau, N. Delhi (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 23. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (₹ 0.10 Crore) for - Training Expenses (₹ 0.10 Crore) 24. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - (EAP) (₹ 15.00 Crore) for - Professional Services (₹ 15.00 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General for meeting additional requirement (₹ 37.99 crore) under Direction and Administration- for Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 37.99 crore)

(ii) For meeting additional expenditure (₹ 12.25 crore) other than Grants-in-aid in respect of 1. Infrastructure Maintenance – UTs without legislature (₹ 10.75 crore) for - Rewards (₹ 0.05 Crore) - Allowance (₹ 10.60 Crore) - Leave Travel Concession (₹ 0.08 crore) - Training Expenses (0.02 crore) 2. National Programme Management of the PM-ABHIM – for Professional Services (₹ 1.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General for meeting additional requirement (₹ 526.46 crore) under 1. RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 400.00 Crore) 2. Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) – National Health Authority (₹ 2.86 crore) - for General component – ₹ 1.92 crore - for SC component - ₹ 0.59 crore - for ST component - ₹ 0.35 crore 3. Infrastructure Maintenance (₹ 38.30 crore) - ₹ 8.10 crore for General component - ₹ 30.20 crore for ST component 4. Strengthening of Health Infrastructure in the State - EAP -(PM-ABHIM) (₹ 85.30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant in Aid General - for meeting additional requirement (₹ 45.29 Crore) for 1. FW-Infrastructure Maintenance – under Tribal Area Sub Plan – for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) – (₹ 12.28 crore) 2. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission – under Tribal Area Sub Plan – for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) – (₹ 33.01 crore).

(iii) प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के लिए जनजातीय क्षेत्र उपयोग के तहत आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीले पूल के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3.83 करोड़) को पूरा करने के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (पीएम-जनमन)- (₹3.83 करोड़)।		(ii) Grants for creation of Capital Assets for meeting additional requirement (₹ 3.83 Crore) for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission – under Tribal Area Sub Plan - for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) – (₹ 3.83 crore).	
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ड)	अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 1.27 करोड़) 1. पोर्ट हेल्थ अथॉरिटी (₹ 1.17 करोड़) के लिए - मोटर वाहन (₹ 1.17 करोड़) 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 0.10 करोड़) के लिए - आईसीटी उपकरण (₹ 0.10 करोड़)	(e)	For meeting the additional requirement (₹ 1.27 crore) for 1. Port Health Authority (₹ 1.17 crore) for - Motor Vehicle (₹ 1.17 Crore) 2. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 0.10 Crore) for - ICT Equipment (₹ 0.10 Crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(च)	(i) क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.01 करोड़) को पूरा करने के लिए - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.01 करोड़)।	(f)	(i) For meeting the additional requirement (₹ 0.01 crore) for Regional Health Offices for- Furniture & Fixture (₹ 0.01 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

भारी उद्योग विभाग

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6145.32	6145.32
पूंजी	Capital	...	26.31	26.31
जोड़	Total	...	6171.63	6171.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	244.01	244.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	244.02	244.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.20	0.20
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.20	0.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6415.85	6415.85
राजस्व	Revenue	...	6389.53	6389.53
पूंजी	Capital	...	26.32	26.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.19	(का) 0.19
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.20	0.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत कार्यालय व्यय (1.92 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 0.19 करोड़ रुपये की राशि की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के भीतर 1.73 करोड़ रुपये की बचतों के उपयोग के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (8.24 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Office Expenses (₹ 1.92 crore) under Secretariat- Economic Services

Taking into account the surrender of savings amounting to ₹ 0.19 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings ₹1.73 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) Grant in Aid General (₹ 8.24 crore) under Support to Central Public Sector Enterprises.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5472.44	5472.44
पूंजी	Capital	...	428.87	428.87
जोड़	Total	...	5901.31	5901.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.08	0.08
पूंजी	Capital	...	243.77	243.77
जोड़	Total	...	243.85	243.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	7.63	7.63
जोड़	Total	...	7.65	7.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6152.81	6152.81
राजस्व	Revenue	...	5472.54	5472.54
पूंजी	Capital	...	680.27	680.27
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01 (का)	0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	5.00 (गc)	5.00
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	2.63 (घd)	2.63
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	7.63	7.63
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	7.65	7.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी (4.20 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) सामान्य सहायता अनुदान के तहत असम में एनआरसी संबंधित गतिविधियां (23.27 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) आईसीटी (5 करोड़ रुपये)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (घ) भूमि की खरीद के लिए सिक्किम सरकार को भुगतान करना (2.63 करोड़ रुपये)।
अनुदान के राजस्व/भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Subsidies for Helicopter services (₹4.20 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) NRC related activities in Assam under GiA General (₹ 23.27 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) ICT (₹ 5 crores).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (d) making payment to Government of Sikkim towards purchase of land (₹2.63 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	969.18	969.18
पूंजी	Capital	...	289.50	289.50
जोड़	Total	...	1258.68	1258.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	44.08	44.08
पूंजी	Capital	...	40.00	40.00
जोड़	Total	...	84.08	84.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	238.41	238.41
पूंजी	Capital	...	221.84	221.84
जोड़	Total	...	460.25	460.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1803.01	1803.01
राजस्व	Revenue	...	1251.67	1251.67
पूंजी	Capital	...	551.34	551.34
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रि परिषद	2013-Council of Ministers	...	238.41	(का) 238.41
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	221.84	(खब) 221.84
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	460.25	460.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अन्य राजस्व व्यय के तहत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन (238.41 करोड़ रुपये)
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) अन्य पूंजीगत व्यय के तहत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन (221.84 करोड़ रुपये)
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Special Extra Session Flight Operations under Other Revenue Expenditure (₹ 238.41 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) Special Extra Session Flight Operations under Other Capital Expenditure (₹ 221.84 cr).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.69	117774.96	117782.65
पूंजी	Capital	5.57	11839.30	11844.87
जोड़	Total	13.26	129614.26	129627.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.09	0.02	4.11
पूंजी	Capital	0.90	0.01	0.91
जोड़	Total	4.99	0.03	5.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.72	439.09	439.81
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.72	439.10	439.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18.97	130053.39	130072.36
राजस्व	Revenue	12.50	118214.07	118226.57
पूंजी	Capital	6.47	11839.32	11845.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	0.72 (का)	439.08 (खb)	439.80
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.72	439.09	439.81
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.72	439.10	439.82

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	आईटीबीपी के तहत अन्य राजस्व व्यय (0.72 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(a)	Other Revenue Expenditure under ITBP (₹ 0.72 Crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	भत्ते (2740 करोड़ रुपये), वेतन (700.00 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (342.15 करोड़ रुपये), ईंधन एवं सनेहक (100.00 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (72.11 करोड़ रुपये) एलपीएआई और पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए (2.11 करोड़ रुपये), एलपीएआई के लिए सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (150.00 करोड़ रुपये), अन्य राजस्व व्यय (100.00 करोड़ रुपये), लघु सिविल एवं विद्युत कार्य (100.00 करोड़ रुपये), पेशेवर सेवाएं (150.00 करोड़ रुपये) और अन्य किराया (233.60 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(b)	Allowances (₹ 2740 Crore), Salaries (₹ 700.00 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 342.15 crore), Fuel and Lubricants (₹ 100.00 Crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 72.11 Crore) for LPAI and Modernization of Police forces (₹ 2.11 crore), Grants in Aid General for LPAI (₹ 10.00 Crore), Office Expenses (₹ 150.00 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 100.00 crore), Minor Civil and Electrical Works (₹ 100.000 crore), Professional Services (₹ 150.00 crore) and Rent for other (₹ 233.60 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	एसआरई (जम्मू कश्मीर) के अंतर्गत (235.40 करोड़ रुपये) और जम्मू कश्मीर (आर एण्ड आर) (416.19 करोड़ रुपये) सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	Grants-in-aid-General under SRE (J&K) (₹ 235.40 crore) and J&K (R&R) (₹ 416.19 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	<p>भवन एवं संरचनाएं (161.50 करोड़ रुपये), फर्नीचर एवं फिक्सचर (32.00 करोड़ रुपये), सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) (200.00 करोड़ रुपये), द्वांचागत आस्तियां (5.00 करोड़ रुपये), भूमि (220 करोड़ रुपये), मशीनरी एवं उपस्कर (200.45 करोड़ रुपये), अन्य पूंजी व्यय (25.00 करोड़ रुपये) और अन्य अचल आस्तियां (1.00 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	(d)	<p>Buildings and Structures (₹ 161.50 Crore), Furnitures & Fixtures (₹ 32.00 Crore), Information, Computer, Telecommunication (ICT) (₹ 200.00 Crore), Infrastructural Assets (₹ 5.00 Crore), Land (₹ 220.00 Crore), Machinery & Equipments (₹ 200.45 crore), Other capital expenditure (₹ 25.00 crore) and Other fixed assets (₹ 1.00 crore) .</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
-----	---	-----	--

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 52
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)
(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	5541.95	5541.96
पूंजी	Capital	...	505.18	505.18
जोड़	Total	0.01	6047.13	6047.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6.75	6.75
पूंजी	Capital	...	46.14	46.14
जोड़	Total	...	52.89	52.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.16	0.16
पूंजी	Capital	...	0.19	0.19
जोड़	Total	...	0.35	0.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	6100.37	6100.38
राजस्व	Revenue	0.01	5548.86	5548.87
पूंजी	Capital	...	551.51	551.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(कa)	0.01
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(खb)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(गc)	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(घd)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(ङe)	0.01
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	(चf)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(छg)	0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(जh)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(झi)	0.01
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01	(टj)	0.01
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01	(ठk)	0.01
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	0.01	(डl)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(ढm)	0.01
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation	...	0.01	(णn)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(तo)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(थp)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.16		0.16
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(दq)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(धr)	0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(नs)	0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(पt)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(फu)	0.01
4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(बv)	0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01	(भw)	0.01
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(मx)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(यy)	0.01

4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(₹z)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	(क1A1)	0.01
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4425-Capital Outlay on Co-operation	...	0.01	(ख1B1)	0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	...	0.01	(ग1C1)	0.01
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4711-Capital Outlay on Flood Control Projects	...	0.01	(घ1D1)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(ङ1E1)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(च1F1)	0.01
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01	(छ1G1)	0.01
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ज1H1)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(झ1I1)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.19		0.19
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.35		0.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: (क) ईईएसएल, एएनआईआईडीसीओ आदि वाहनों के किराए के भुगतान (2.12 करोड़ रुपये) और सरकारी विदेशी दौरे (0.02 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) मोटर वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण (1.08 करोड़ रुपये) से संबंधित व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) सरकारी विदेशी दौरे से संबंधित व्यय को पूरा करना (0.01 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) कॉलेज बस की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए व्यय (0.01 करोड़ रुपये), नियमित कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए भते (1.30 करोड़ रुपये), नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान (एनएससीबीआईएचएल) सम विश्वविद्यालय (0.50 करोड़ रुपये) से संबंधित पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय (4.16 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) वेतन सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (4.29 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (च) सामान्य सहायता अनुदान (7.20 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (छ) वेतन सहायता अनुदान (8.00 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ज) सामान्य सामान्य अनुदान (3.32 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (झ) डीआरएम के वेतन का भुगतान (2.91 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.10 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ट) सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपये) और सरकारी विदेशी दौरे (0.01 करोड़ रुपये) से संबंधित व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ठ) लघु सिविल और विद्युत निर्माण कार्य (0.02 करोड़ रुपये) के अंतर्गत व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ड) सब्सिडी हेतु अतिरिक्त व्यय (0.20 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ढ) सामान्य सहायता अनुदान (5.83 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards payment of hiring charges of vehicles of EESL, ANIIDCO etc. (₹ 2.12 crore) and official foreign tour (₹ 0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards repair & maintenance of motor vehicles (₹ 1.08 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure on official foreign tour (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure towards repair & maintenance of college bus (₹ 0.01 crore), allowances to meet salary of regular staffs (₹ 1.30 crore), grants for creation of capital assets in respect of Netaji Subhash Chandra Bose Institute of Higher learning (NSCBIHL) deemed-to-be-University (₹ 0.50 crore), additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 4.16 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.04 crore) and Grant-in-Aid General (₹ 4.29 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 7.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 8.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (h) meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 3.32 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) meeting expenditure towards payment of wages to DRMs (₹ 2.91 crore) and Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (j) meeting expenditure under Grant-in-Aid General (₹ 0.40 crore) and official foreign tour (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (k) meeting expenditure under Minor Civil and Electrical Works (₹ 0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (l) meeting additional expenditure towards subsidies (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (m) meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 5.83 crore) and Grant-in-Aid Salaries (₹ 2.00 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(n)	meeting additional expenditure towards subsidies (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	सामान्य सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(o)	meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 0.11 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करना (2.06 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(p)	meeting expenditure towards Grant for creation of Capital Assets (₹ 2.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	सौर इन्वर्टर, सौर पैनलों की खरीद और स्थापना शुल्क और पुलिस समुद्री बल नौकाओं, डोंगी आदि की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना (0.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(q)	meeting expenditure towards purchase and installation charges of solar inverter, solar panels and purchase of police marine force boats, dinghies etc. (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(r)	meeting additional expenditure towards buildings and structures (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(न)	रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना (0.50 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (0.05 करोड़ रुपये), भवन और संरचनाएं (1.94 करोड़ रुपये), आईसीटी उपकरण (0.13 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(s)	meeting expenditure towards purchase and installation of rooftop solar panels (₹ 0.50 crore), machinery & equipment (₹ 0.05 crore), buildings & structures (₹ 1.94 crore) and ICT equipment (₹ 0.13 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(प)	कंप्यूटर उपकरण (0.16 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.05 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (0.50 करोड़ रुपये), भवन और संरचनाएं (6.32 करोड़ रुपये), आईसीटी उपकरण (0.55 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.46 करोड़ रुपये), अन्य अचल आस्तियों (0.47 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(t)	meeting expenditure towards purchase of computer equipments (₹ 0.16 crore), furnitures & fixtures (₹ 0.05 crore), machinery & equipments (₹ 0.50 crore), buildings & structures (₹ 6.32 crore), ICT equipments (₹ 0.55 crore), furnitures & fixtures (₹ 0.46 crore) and other fixed assets (₹ 0.47 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(फ)	भवनों और संरचनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.78 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(u)	meeting additional expenditure towards buildings and structures (₹ 1.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ब)	अवसंरचनागत आस्तियों (0.80 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(v)	meeting additional expenditure towards Infrastructural assets (₹ 0.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(भ)	अवसंरचनागत आस्तियों (0.60 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(w)	meeting additional expenditure towards Infrastructural assets (₹ 0.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(म)	भवन और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.01 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(x)	meeting additional expenditure towards buildings and structures (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(य)	मोटर वाहनों (0.01 करोड़ रुपये) और भवनों और संरचनाओं (2.64 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(y)	meeting expenditure towards purchase of motor vehicles (₹ 0.01 crore) and buildings & structures (₹ 2.64 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(र)	भवनों और संरचनाओं के लिए व्यय (0.29 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(z)	meeting expenditure towards buildings & structures (₹ 0.29 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(क1)	मशीनरी और उपकरणों (0.04 करोड़ रुपये) भवनों और संरचनाओं (2.28 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(A1)	meeting additional expenditure towards machinery & equipment (₹ 0.04 crore) and buildings & structures (₹ 2.28 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख1)	निवेश हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(B1)	meeting additional expenditure towards investment (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग1)	मोटर वाहनों (0.15 करोड़ रुपये) और भवनों और संरचनाओं (1.05 करोड़ रुपये) की खरीद हेतु व्यय को पूरा करना।	(C1)	meeting expenditure towards purchase of motor vehicles (₹ 0.15 crore) and buildings & structures (₹ 1.05 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ1)	अवसंरचनागत आस्तियों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.73 करोड़ रुपये)।	(D1)	meeting additional expenditure towards infrastructural assets (₹ 0.73 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ1)	भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.65 करोड़ रुपये)	(E1)	meeting additional expenditure towards buildings and structures (₹ 0.65 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च1)	नए उप-शीर्ष भवन के अंतर्गत नए वस्तु शीर्ष भवनों और संरचनाओं को खोलने के लिए व्यय को पूरा करना (0.05 करोड़ रुपये) और भवन निर्माण उप-शीर्ष के अंतर्गत भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.43 करोड़ रुपये)।	(F1)	meeting expenditure for opening of new object head buildings & structures under sub-head building (₹ 0.05 crore) and additional expenditure towards buildings & structures under sub-head construction of buildings (₹ 0.43 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ1)	अवसंरचनागत आस्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.50 करोड़ रुपये)	(G1)	meeting additional expenditure towards infrastructural assets (₹ 1.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज1)	अवसंरचनागत आस्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.38 करोड़ रुपये)।	(H1)	meeting additional expenditure towards infrastructural assets (₹ 6.38 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ1)	कंप्यूटरों की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना (0.20 करोड़ रुपये)।	(I1)	meeting expenditure towards procurement of computers (₹ 0.20 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)
(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	444.81	4920.26	5365.07
पूँजी	Capital	50.00	672.03	722.03
जोड़	Total	494.81	5592.29	6087.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	66.55	556.80	623.35
पूँजी	Capital	...	40.09	40.09
जोड़	Total	66.55	596.89	663.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	27.00	27.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	27.00	27.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	561.36	6216.18	6777.54
राजस्व	Revenue	511.36	5504.06	6015.42
पूँजी	Capital	50.00	712.12	762.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	4.16 (का)	4.16
2015-चुनाव	2015-Elections	...	2.10 (खb)	2.10
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration	...	2.40 (गc)	2.40
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	3.98 (घd)	3.98
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	11.04 (ङe)	11.04
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	3.32 (चf)	3.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	27.00	27.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आउटसोर्सड स्टाफ की मजदूरी के भुगतान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय के पदधारियों के मेडिकल दावों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.16 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(ख) चुनाव प्रभारों के संबंध में लंबित बिलों के भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.10 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरो के लिए वाहन किराए पर लेने के भुगतान, बूथ स्तर के अधिकारियों के भुगतान और राज्य के समारोह के आयोजन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.40 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा

(घ) ई-ऑफिस मॉड्यूल के कार्यान्वयन हेतु हार्डवेयर की खरीद और जीईएम के माध्यम से केंद्रीय स्टोर में सीमेंट, इस्पात और निर्माण सामग्री की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.98 करोड़ रुपये)

अनुदान के राजस्व/पूँजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure for the payment of wages to the outsourced staff and the reimbursement of medical claims of Retired Judges, Judicial officers and officials of High Court (₹ 4.16 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) meeting additional expenditure for the pending payment of bills in respect of Election Charges (₹ 2.10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(c) meeting additional expenditure for payment of hiring the vehicles for VVIP and VIP visits, payment to Booth Level officers and for organizing state functions (₹ 2.40 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(d) meeting additional expenditure for procurement of hardware for the implementation of e-office module and procurement of cement, steel and building material in the Central Store through GeM (₹ 3.98 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(ड)	सरकारी बहु-विशेषज्ञता अस्पताल में एबी-पीएमजेएवाई के तहत आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों, डिलिवरी किट, वैक्सीन और सर्जिकल मदों की खरीद और पैनल में शामिल अस्पतालों को प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की पुरानी मशीनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (11.04 करोड़ रुपये)।	(e)	meeting additional expenditure for purchase of essential life savings drugs, delivery kits, vaccine and surgical items and for claim re-imbursements to the empanelled hospitals under AB-PMJAY in Government Multispeciality Hospital and for repair and maintenance of old machinery of the Government Medical College (₹ 11.04 crore).
	अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(च)	बसों के पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि के कारण और बसों के बेड़े में वृद्धि के लिए परिवहन विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.32 करोड़ रुपये)	(f)	meeting additional expenditure for Transport Department due to hike in prices of spare parts of buses and increase of bus fleet (₹ 3.32 crore).
	अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55

लद्दाख

LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)
(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 78 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2818.33	2818.33
पूँजी	Capital	...	3149.92	3149.92
जोड़	Total	...	5968.25	5968.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	0.05	0.05
जोड़	Total	...	0.09	0.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.07	0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5968.41	5968.41
राजस्व	Revenue	...	2818.42	2818.42
पूँजी	Capital	...	3149.99	3149.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01 (का)	0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (खb)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (गc)	0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (घd)	0.01
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01 (चf)	0.01
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4575-Capital Outlay on Other Special Areas Programmes	...	0.01 (छg)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.07	0.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सहायता अनुदान सामान्य के तहत लद्दाख पीडित प्रतिपूर्ति के लंबित बिलों (0.10 करोड़ रुपये) और जीआईए वेतन के तहत बकाया वेतन के लंबित बिलों (0.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) सहायता अनुदान सामान्य के तहत उमलिंग-ला फैशन शो के लंबित बिलों (0.75 करोड़ रुपये) और सहायता अनुदान वेतन की अपेक्षित अतिरिक्त निधि (0.07 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) भत्तों के मद में अतिरिक्त व्यय की निधि की आवश्यकता को पूरा करना (7.30 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) सहायता अनुदान सामान्य के लंबित बिलों के निपटान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.21 करोड़ रुपये)

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure for clearing pending bills of Ladakh victim compensation under Grant-in-Aid General (₹ 0.10 crore) and pending bills of salaries arrear under Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.18 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure for clearing pending bills of Umling la fashion show under Grant-in-Aid General (₹ 0.75 crore) and additional funds required towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.07 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards allowances (₹ 7.30 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General for clearing pending bills (₹ 0.21 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	भर्तों के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.94 करोड़ रुपये)	(e)	meeting additional expenditure towards allowances (₹ 5.94 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	कारगिल में सौर जल उत्थापन हेतु लंबित बिलों के निपटान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.70 करोड़ रुपये)	(f)	meeting additional expenditure for clearing pending bills for solar water lifting at Kargil (₹ 0.70 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	मशीनरी और उपस्कर (15.00 करोड़ रुपये), भूमि प्रतिपूर्ति (10.00 करोड़ रुपये) के तहत किए गए कार्य के लंबित बिलों के निपटान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अवसंरचनीय आस्तियों (128.83 करोड़ रुपये), फयांग और डिस्कट (नुब्रा) संरचना लाईन में जंगल/भूमि प्रतिपूर्ति (116.15 करोड़ रुपये) और किए गए कार्य की देनदारियों (55.02 करोड़ रुपये) के तहत सीमा सड़क संगठन हेतु विशेष विकास पैकेज के तहत अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हैं।	(g)	meeting additional expenditure for clearing pending bills of work done under machinery & equipment (₹ 15.00 crore), land compensation (₹ 10.00 crore). Additional funds are required under special development package for Border Road Organization under Infrastructural Assets (₹ 128.83 crore), forest/land compensation at Phayang and Disket (Nubra) transmission Line (₹ 116.15 crore) and clearing liabilities of work already carried out (₹ 55.02 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 82 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	35581.44	35581.44
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	35581.44	35581.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3170.00	3170.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	3170.00	3170.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3000.00	3000.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	3000.00	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	41751.44	41751.44
राजस्व	Revenue	...	41751.44	41751.44
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु जम्मू और कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र को 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की पूर्ति।
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional Central Assistance of ₹ 3,000 crore to UT of Jammu & Kashmir for bridging the resource gap.
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 84 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	117.72	50474.60	50592.32
पूँजी	Capital	38.23	29568.05	29606.28
जोड़	Total	155.95	80042.65	80198.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	20.00	0.09	20.09
पूँजी	Capital	4.09	700.01	704.10
जोड़	Total	24.09	700.10	724.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	180.04	80742.78	80922.82
राजस्व	Revenue	137.72	50474.70	50612.42
पूँजी	Capital	42.32	30268.08	30310.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (खब)	0.01
4216-आवासन पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) शहरी परिवहन योजना तथा मेट्रो और गैर मेट्रो परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) जीपीओए- अन्य मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में चल रहे कई कार्यों के लिए भवन एवं संरचना अर्थात् ऑडिट, सीबीडीटी/सीबीसीईसी (20 करोड़ रुपये) तथा आईसीसीसी वाराणसी के लिए ईएपी के संबंध में बाहरी रूप से वित्तपोषित (जीका अनुदान ईएपी) सीए की लेखांकन आवश्यकता के लिए (173.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) माननीय सांसदों के लिए बीकेएस मार्ग, नई दिल्ली में 184 एमएस फ्लैटों के निर्माण के लिए भवन और संरचनाएं, भांडुप, मुंबई में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी क्वार्टर का निर्माण तथा ऑडिट सीबीईसी/सीबीडीटी के तहत अन्य परियोजनाएं (20 करोड़ रुपये), उपराष्ट्रपति एनक्लेव का निर्माण और दिल्ली व पूरे देश में जीपीआरए भवन निर्माण के संबंध में चल रहे कई कार्य (80 करोड़ रुपये) तथा सीपीडबल्यूडी की विभिन्न बजटीय इकाइयों/फील्ड कार्यालयों से प्राप्त मांग के लिए (0.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-Aid General under Urban Transport Planning and Capacity Building for Metro and Non-Metro Projects (₹2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Buildings and Structures for the several ongoing work in respect of GPOA-Other Ministry related projects i.e. Audit, CBBT/CBEC (₹20 crore) and for accounting requirement of the CAA for Externally funded (JICA Grant) in respect of EAP for ICCV Varanasi (₹173.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Buildings and Structures for the construction of 184 MS Flats for Hon'ble MPs at BKS Marg, New Delhi, construction of staffs quarters for Indian Audit and Accounts Department at Bhandup, Mumbai and other projects under Audit, CBEC/CBBT (₹20 crore), construction of Vice President's Enclave and several ongoing work in respect of GPRA Building in Delhi and all over the country (₹80 crore) and for demands received from various budgetary units/field offices of CPWD (₹0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 87 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4661.16	4661.16
पूँजी	Capital	...	30.84	30.84
जोड़	Total	...	4692.00	4692.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	8.00	8.00
जोड़	Total	...	8.04	8.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4700.05	4700.05
राजस्व	Revenue	...	4661.21	4661.21
पूँजी	Capital	...	38.84	38.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विभिन्न निविदाओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 'प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास (बी.आई.एन.डी.)' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (8 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

'Grants-in-Aid General' under 'Broadcasting Infrastructure & Network Development (BIND)' (₹8 crore) to meet expenditure related to various tenders.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89-90 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 89-90 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19738.21	19738.21
पूँजी	Capital	...	380.48	380.48
जोड़	Total	...	20118.69	20118.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3915.86	3915.86
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	3915.86	3915.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	24034.62	24034.62
राजस्व	Revenue	...	23654.12	23654.12
पूँजी	Capital	...	380.50	380.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	2.14	(का) 2.14
2700-वृहत सिंचाई	2700-Major Irrigation	...	1100.00	(खb) 1100.00
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	497.14	(गc) 497.14
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	...	4.16	(घd) 4.16
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	705.00	(डेe) 705.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	1607.42	(चा) 1607.42
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3915.86	3915.86

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2700-वृहत सिंचाई	2700-Major Irrigation	...	(-)1400.00	(-)1400.00
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	(-)1500.00	(-)1500.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)1500.00	(-)1500.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)4400.00	(-)4400.00

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) सचिवालय- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, पुरस्कार, घरेलू और विदेश यात्रा आदि के लिए स्थापना व्यय (2.14 करोड़ रुपये)।

अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) 'नदियों को जोड़ने' के संबंधित योजना का वित्तपोषण करने के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 3200.00 करोड़ रुपये का अंतरण। इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए 1100.00 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगी गई है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Establishment Expenditure on Salaries, Wages, Rewards, Domestic & Foreign Travel etc. under Secretariat - Economic Services (₹ 2.14 crore).

Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) transfer of ₹ 3200.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Interlinking of Rivers'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 1100.00 crore is sought.

	अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	अटल भूजल योजना के अंतर्गत ईएपी घटक और गैर-ईएपी घटक के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (497.14 करोड़ रुपये)। अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Grants-in-aid General under EAP Component and under Non-EAP Component under Atal Bhujal Yojana (₹ 497.14 crore). Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	अन्य परिवहन सेवाओं के अंतर्गत भते, चिकित्सा, कार्यालय व्यय और पेशेवर सेवाएँ आदि। (4.16 करोड़ रुपये)। अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	Allowances, Medical, Office Expenses and Professional Services etc. under Other Transport Services. (₹ 4.16 crore). Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ङ)	'राष्ट्रीय गंगा योजना' स्कीम का वित्तपोषण करने के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 2300.00 करोड़ रुपये का अंतरण। इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 705.00 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगी गई है।	(e)	transfer of ₹ 2300.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'National Ganga Plan'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 705.00 crore is sought.
(च)	अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं' योजना का वित्तपोषण करने के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 2900 करोड़ रुपये का अंतरण। इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसके लिए 1607.42 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगी गई है।	(f)	Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. transfer of ₹ 2900.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme - 'Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Projects'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 1607.42 crore is sought.
	अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 91 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	77221.80	77221.80
पूंजी	Capital	...	1.20	1.20
जोड़	Total	...	77223.00	77223.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	1.40	1.40
जोड़	Total	...	1.41	1.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	77224.43	77224.43
राजस्व	Revenue	...	77221.83	77221.83
पूंजी	Capital	...	2.60	2.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	1.40 (खब)	1.40
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1.41	1.41

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय को पूरा करना (i) सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) गांवों/बस्तियों के लिए हर घर नल की लागत के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 105.95 करोड़ रुपये और (ii) जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकारों को जारी करने के लिए 1045.36 करोड़ रुपये।

अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

(ख) सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरण की लागत हेतु 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध 0.20 करोड़ रुपये की बचत और अनुदान के राजस्व भाग में 1.40 करोड़ रुपये के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure as grants-in-aid general (i) ₹ 105.95 crore for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) towards the cost of Har Ghar Nal for all Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) villages/ habitations; and (ii) ₹ 1045.36 crore for releases to State Governments under Jal Jeevan Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

provision of ₹ 1.60 crore towards the cost of Information, Computer and Telecommunications Equipment.

Taking into account the savings of ₹ 0.20 crore available under same section of the grant and surrenders of ₹ 1.40 crore from revenue section of the grant this will not entail additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 92 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित
Charged

स्वीकृत
Voted

जोड़
Total

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

पूरक अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

Total

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित
Charged

स्वीकृत
Voted

जोड़
Total

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2230-Labour, Employment and Skill Development

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत सबसिडी (21.00 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 21.00 crore) under Labour Welfare Scheme

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 93 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2230.65	2230.65
पूँजी	Capital	...	1944.78	1944.78
जोड़	Total	...	4175.43	4175.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3609.85	3609.85
पूँजी	Capital	...	618.08	618.08
जोड़	Total	...	4227.93	4227.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	286.93	286.93
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	286.93	286.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8690.29	8690.29
राजस्व	Revenue	...	6127.43	6127.43
पूँजी	Capital	...	2562.86	2562.86
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01 (का)	0.01
2015-चुनाव	2015-Elections	...	286.92 (खb)	286.92
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	286.93	286.93

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन - अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के आयोजन के लिए भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) के सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गई अग्रिम राशि की पुनःपूर्ति (₹. 1.00 करोड़)) और (ii) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (0.52 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) चुनाव संबंधी व्यय की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) re-coupmnt of advance withdrawn from the Contingency Fund of India for meeting additional expenditure under Grant-in-aid General of Indian Law Institute (ILI) to organize the Commonwealth Legal Education Association – Attorney Generals and Solicitor General Conference 2024 (₹ 1.00 crore) and (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to National Judicial Academy (₹ 0.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure under Professional Services for clearing the pending liabilities towards election related expenditure

The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 95 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	312.00	312.00
पूँजी	Capital	...	28.00	28.00
जोड़	Total	...	340.00	340.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	73.67	73.67
पूँजी	Capital	...	28.09	28.09
जोड़	Total	...	101.76	101.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	24.28	24.28
जोड़	Total	...	24.28	24.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	466.04	466.04
राजस्व	Revenue	...	385.67	385.67
पूँजी	Capital	...	80.37	80.37
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	24.28	24.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईआईआईडीएम कैम्पस के निर्माण के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायिक अधिनियम की शेष राशि के भुगतान (18.60 करोड़ रुपये) और (ii) आईआईआईडीएम कैम्पस के निर्माण के संबंध में लंबित देयताओं को पूरा करने (5.68 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on (i) payment of balance amount of arbitration award as per the directions of Hon'ble High Court of Delhi in connection with the construction of IIIDEM campus (₹ 18.60 crore) and (ii) clearing the pending liabilities of the CPWD in connection with the construction of IIIDEM campus (₹ 5.68 crore). The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)
(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	407.15	...	407.15
पूँजी	Capital	30.00	...	30.00
जोड़	Total	437.15	...	437.15
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	25.69	...	25.69
पूँजी	Capital	18.44	...	18.44
जोड़	Total	44.13	...	44.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	26.44	...	26.44
पूँजी	Capital	9.56	...	9.56
जोड़	Total	36.00	...	36.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	517.28	...	517.28
राजस्व	Revenue	459.28	...	459.28
पूँजी	Capital	58.00	...	58.00
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	26.44	(का) ...	26.44
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	9.56	(खb) ...	9.56
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	36.00	...	36.00

पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) वस्तु शीर्षों (i) वेतन (5.88 करोड़ रुपये), (ii) रिवार्ड (0.24 करोड़ रुपये), (iii) मेडिकल उपचार (2.80 करोड़ रुपये), (iv) भत्ते (4.13 करोड़ रुपये), (v) छुट्टी यात्रा रियायत (0.50 करोड़ रुपये), (vi) प्रशिक्षण संबंधी व्यय (0.03 करोड़ रुपये), (vii) विदेश यात्रा व्यय (1.25 करोड़ रुपये), (viii) कार्यालय व्यय (7 करोड़ रुपये), (ix) विज्ञापन और प्रचार (0.03 करोड़ रुपये) और (x) पेशेवर सेवाएं (4.58 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) वस्तु शीर्षों (i) मोटर वाहन (0.14 करोड़ रुपये), (ii) सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (8.49 करोड़ रुपये) और (iii) अन्य नियत आस्तियां (1.44 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.51 करोड़ रुपये की बचत को समायोजित करने के पश्चात उपर्युक्त व्यय में 9.56 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure under the Object Heads (i) Salaries (₹ 5.88 crore), (ii) Rewards (₹ 0.24 crore), (iii) Medical Treatment (₹ 2.80 crores), (iv) Allowances (₹ 4.13 crore), (v) Leave Travel Concession (₹ 0.50 crore), (vi) Training Expenses (₹ 0.03 crore), (vii) Foreign Travel Expenses (₹ 1.25 crore), (viii) Office Expenses (₹ 7 crore), (ix) Advertising and Publicity (₹ 0.03 crore) and (x) Professional services (₹ 4.58 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure under the Object Heads (i) Motor Vehicle (₹ 0.14 crore), (ii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 8.49 crore) and (iii) Other Fixed Assets (₹ 1.44 crore).

After adjusting savings of ₹ 0.51 crore available under the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 9.56 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 97 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	21543.43	21543.43
पूँजी	Capital	...	594.52	594.52
जोड़	Total	...	22137.95	22137.95
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	22138.01	22138.01
राजस्व	Revenue	...	21543.48	21543.48
पूँजी	Capital	...	594.53	594.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत एनईआर सब्सिडी (50.00 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सब्सिडी (208.22 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हब केंद्र के तहत सामान्य सहायता अनुदान (24.75 करोड़ रुपये) (iii) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) के तहत सब्सिडी (20.00 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Subsidies NER(₹ 50.00 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i)Subsidies (₹ 208.22 crore) under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), (ii) Grant-in-Aid General (₹ 24.75 crore) under National Scheduled Caste/Scheduled Tribe Hub Centre , (iii) Subsidies (₹20.00 crore) under Procurement and Marketing Support (PMS)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 99 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2234.48	2234.48
पूंजी	Capital	...	77.12	77.12
जोड़	Total	...	2311.60	2311.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	821.42	821.42
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	821.42	821.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3133.04	3133.04
राजस्व	Revenue	...	3055.91	3055.91
पूंजी	Capital	...	77.13	77.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	821.42	821.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि के लोक खाते को भारत की संचित निधि से
निधियों का अंतरण
उपरोक्त व्यय में 821.42 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Transfer of funds from Consolidated Fund of India to Public
Account of National Mineral Exploration Trust Fund.
The above expenditure will entail a cash outgo amounting to
₹821.42 crore;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	17717.81	17717.81
पूंजी	Capital	...	11.65	11.65
जोड़	Total	...	17729.46	17729.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	5.50	5.50
जोड़	Total	...	5.51	5.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	17734.97	17734.97
राजस्व	Revenue	...	17717.82	17717.82
पूंजी	Capital	...	17.15	17.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	5.50	(खb) 5.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	5.51	5.51

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सौर विद्युत ऑफ गिड स्कीम के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के क्रियान्वयन हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में 20 करोड़ रुपये।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित लंबित देयताओं के लिए कार्यालय भवन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए 5.50 करोड़ रुपये।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत की समतुल्य राशि को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) ₹ 20 Crore as grants for creation of capital assets for implementing Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Solar Power Off Grid scheme.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) ₹ 5.50 crore for meeting office building expenditure against pending liabilities related to Central Public Works Department.
Taking into account the equivalent amount of savings available in the revenue section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 101 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	21.83	1910.19	1932.02
पूँजी	Capital	73.17	202.55	275.72
जोड़	Total	95.00	2112.74	2207.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.98	260.36	262.34
पूँजी	Capital	21.01	2.64	23.65
जोड़	Total	22.99	263.00	285.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	40.07	40.07
जोड़	Total	...	40.10	40.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	117.99	2415.84	2533.83
राजस्व	Revenue	23.81	2170.58	2194.39
पूँजी	Capital	94.18	245.26	339.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (कa)	0.01
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01 (खb)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	30.47 (घd)	30.47
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	9.60 (ङe)	9.60
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	40.07	40.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	40.10	40.10

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) वेतन सहायता अनुदान-डीओपीटी (0.03 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) अन्य राजस्व व्यय- सीबीआई (2 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) क) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रसार- सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) ख) प्रवेशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: लबासना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (2 करोड़ रुपये) और ग) डोमेन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम: लबासना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (2 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की जाती है।
- (घ) सीबीआई के लिए समय आधुनिकीकरण और भूमि खरीद/कार्यालय का निर्माण/आवासीय परिसर (30.47 करोड़ रुपये)
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ङ) आवश्यक सेवा अवसंरचना सुधार और उन्नयन हेतु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (लबासना) (9.60 करोड़ रुपये)
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants in aid Salaries-DoPT (₹ 0.03 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Other Revenue Expenditure - CBI (₹ 2 Crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) a) Propagation of Right to Information Act - Grants in aid General (₹ 0.50 Crore), b) Induction Training Programme: Professional Services under LBSNAA (₹ 2 Crore) and c) Domain Specific Training Programme: Professional Services under LBSNAA (₹ 2 Crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Comprehensive Modernisation and purchase of land/ construction of office/ residence buildings for CBI (₹ 30.47 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (e) Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) (₹ 9.60 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 106-107 देखिये)
(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 106-107 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1530.53	1530.53
पूंजी	Capital	...	1198.21	1198.21
जोड़	Total	...	2728.74	2728.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	96.85	96.85
पूंजी	Capital	...	94.55	94.55
जोड़	Total	...	191.40	191.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	1.42	1.42
जोड़	Total	...	1.42	1.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2921.56	2921.56
राजस्व	Revenue	...	1627.38	1627.38
पूंजी	Capital	...	1294.18	1294.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	0.01 (का)	0.01
5052-पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	...	0.01 (खब)	0.01
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	1.40 (गक)	1.40
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1.42	1.42

पूरक अनुदानों निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) लाइट हाउस और लाइट शिप के तहत 'मशीनरी और उपस्कर' (3.60 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) पोत परिवहन महानिदेशालय में 'सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर' के तहत पोत परिवहन महानिदेशालय, एमएमडी मुंबई और पोत परिवहन मुख्य कार्यालय, मुंबई के लिए कम्प्यूटर और प्रिंटर्स की खरीद (1.00 करोड़ रुपये)।
(ii) पोत परिवहन महानिदेशालय में 'भवन और संरचना' के तहत एमएमडी, वाईजैग के लिए नए कार्यालय भवन आधारशिला का निर्माण और एमएमडी, मैंगलोर के लिए भवन संबंधी कार्य (3.74 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) सचिवालय- आर्थिक सेवाएं में 'सूचना, कम्प्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर' के तहत विद्यमान वीसी प्रणाली का उन्नयन और अन्य आईटी उत्पादों जैसे पीसी, प्रिंटर की खरीद (1.40 करोड़ रुपये)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए ए और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) 'Machinery & Equipment' under Light Houses and Light Ships (₹ 3.60 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) procurement of computers and printers for DG Shipping, MMD Mumbai and Shipping Master office, Mumbai under 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment' in Director General of Shipping (₹ 1.00 crore).
(ii) construction of new office building base for MMD, Vizag and construction of building work for MMD Mangalore under 'Building and Structure' in Director General of Shipping (₹ 3.74 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) up-gradation of existing VC system and procurement of other IT products viz PC, Printers under 'Information, Computer and Telecommunication (ICT) Equipment' in Secretariat-Economic Services (₹ 1.40 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)
(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 108 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	21794.52	21794.52
पूँजी	Capital	...	16.80	16.80
जोड़	Total	...	21811.32	21811.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	10.00	0.02	10.02
पूँजी	Capital	...	1927.67	1927.67
जोड़	Total	10.00	1927.69	1937.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	30.00	30.00
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	30.01	30.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	23769.02	23779.02
राजस्व	Revenue	10.00	21824.54	21834.54
पूँजी	Capital	...	1944.48	1944.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	30.00	(का) 30.00
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	30.01	30.01
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-)30.00	(-)30.00

पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए वेतन सहायता अनुदान के रूप में 0.38 करोड़ रुपये; (ii) स्मार्ट ग्रिड (विद्युत प्रणालियों का शुद्धीकरण) और विद्युत प्रणाली विकास निधि के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में क्रमशः 8.49 करोड़ रुपये और 86.88 करोड़ रुपये; (iii) सुधार संबंध वितरण स्कीम के अधीन प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये। (iv) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) स्कीम के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 17 करोड़ रुपये और अनुदानों के रूप में 13 करोड़ रुपये जिसे सीईआरसी निधि से पूरा किया जाएगा।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए और सीईआरसी निधि से प्राप्त वस्तुओं की समतुल्य राशि से मिलान करने हेतु 30 करोड़ रुपये, इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

- (ख) स्थापना-सचिवालय के अंतर्गत आईसीटी (सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार) के लिए 0.70 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त व्यय।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Additional expenditure of (i) ₹ 0.38 crore as grants-in-aid salary for setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and Ladakh; (ii) ₹ 8.49 crore and ₹ 86.88 crore as grants-in-aid general for Smart Grids (Strengthening of Power Systems) and Power System Development Fund (PSDF) respectively; (iii) ₹ 50 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Reform Linked Distribution Scheme (iv) ₹ 17 crore as grants-in-aid general and ₹ 13 crore as grants for creation of capital assets under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC) which will be met from CERC Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant and ₹ 30 crore to be matched by equivalent amount of recoveries from CERC Fund, it will not entail any cash outgo.
- (b) Additional expenditure amounting to ₹ 0.70 crore towards ICT (Information, Computer, Telecommunication) under Establishment-Secretariat. Taking into account the savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.10	785.41	786.51
पूंजी	Capital	...	35.49	35.49
जोड़	Total	1.10	820.90	822.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.10	820.91	822.01
राजस्व	Revenue	1.10	785.42	786.52
पूंजी	Capital	...	35.49	35.49
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) (₹ 0.60 करोड़) और लोकसभा कर्मचारी संघ (एलएसईए) (₹ 0.03 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Grant-in-Aid-General of Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS) (₹ 0.60 crore) and Lok Sabha Employees Association (LSEA) (₹ 0.03 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 83

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9.10	9.10
पूँजी	Capital	...	0.21	0.21
जोड़	Total	...	9.31	9.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.50	0.50
पूँजी	Capital	...	0.15	0.15
जोड़	Total	...	0.65	0.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9.96	9.96
राजस्व	Revenue	...	9.60	9.60
पूँजी	Capital	...	0.36	0.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	...	0.50	(का) 0.50
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	...	0.15	(खb) 0.15
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.65	0.65

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) कार्यालय व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) सूचना, कम्प्यूटर दूरसंचार(आईसीटी) उपकरणों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure under Office Expenses.

The above expenditure will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure under Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment.

The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 112-114 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 112-114 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	433.10	330567.42	331000.52
पूँजी	Capital	219.29	440409.78	440629.07
जोड़	Total	652.39	770977.20	771629.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	82.10	...	82.10
पूँजी	Capital	619.54	69.83	689.37
जोड़	Total	701.64	69.83	771.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1354.03	771047.05	772401.08
राजस्व	Revenue	515.20	330567.43	331082.63
पूँजी	Capital	838.83	440479.62	441318.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	...	0.01	(का) 0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर पूँजीगत परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सामरिक लाइनों के संचालन पर घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए 2004.33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ख) उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फोर्ज्ड व्हील प्लांट के अधिग्रहण के लिए 2300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 2004.33 crore for reimbursement of losses on operation of strategic lines. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 2300 crore for acquisition of Forged Wheel Plant at Raebareli, Uttar Pradesh. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 115-116 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 115-116 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	23528.23	23528.23
पूँजी	Capital	5.00	321293.78	321298.78
जोड़	Total	5.00	344822.01	344827.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	344822.06	344827.06
राजस्व	Revenue	...	23528.24	23528.24
पूँजी	Capital	5.00	321293.82	321298.82
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूँजीगत परियोजनाएँ	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
5054-सड़क और पुलों के लिए पूँजीगत परियोजनाएँ	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

पूरक अनुदानों निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के लिए सड़क स्क्वॉड के तहत सड़क विकास कार्यों के लिए 'अवसंरचनात्मक आस्तियाँ' जीबीएस द्वारा वित्तपोषित (600 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) (i) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान टोल के संशोधित अनुमानित एकत्रण के आधार पर भारतमाला परियोजना के अधीन चालू कार्यों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित के तहत 'निवेश' एनएचआई (4193 करोड़ रुपये)।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि के तहत 'अंतर खाता अंतरण' (4193 करोड़ रुपये)

(iii) सड़क स्क्वॉड के अधीन अन्य स्कीमों के तहत 'अवसंरचनात्मक आस्तियाँ' (707 करोड़ रुपये)।

(iv) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों के अधीन 'अवसंरचनात्मक आस्तियाँ' - मुख्य कार्यों के तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (500 करोड़ रुपये)।

(v) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए काउंटरपार्ट निधि हेतु 'अवसंरचनात्मक आस्तियाँ' - मुख्य कार्यों के तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (100 करोड़ रुपये)।

(vi) राष्ट्रीय राजमार्ग पूल कार्य के अंतर्गत अवसंरचनात्मक आस्तियाँ - जनदातीय उपयोगिता - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित (300 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) 'Infrastructural Assets' for Road Development Works under Roads Wing for Works in North Eastern Region - Financed from GBS (₹ 600 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) 'Investment-NHA' under Financed from Permanent Bridges Fees Fund for on-going works under Bharatmala Pariyojana on the basis of revised estimated collection of toll during the current financial year (₹ 4193 crore).

(ii) 'Inter Account Transfer' under Transfer to National Highways Permanent Bridges Fees Fund (₹ 4193 crore).

(iii) 'Infrastructural Assets' under Other Schemes for Works under Roads Wing (₹ 707 crore).

(iv) 'Infrastructural Assets' under Externally Aided Schemes-Japan International Cooperation Agency under Major Works (₹ 500 crore).

(v) 'Infrastructural Assets' for Counterpart Fund for Externally Aided Schemes - Japan International Cooperation Agency under Major Works (₹ 100 crore).

(vi) 'Infrastructural Assets' under National Highways Original Works- Tribal Sub Plan - financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 300 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 117 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	236541.48	236541.48
पूँजी	Capital	...	3.52	3.52
जोड़	Total	...	236545.00	236545.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	14524.34	14524.34
पूँजी	Capital	...	0.12	0.12
जोड़	Total	...	14524.46	14524.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	23000.00	23000.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	23000.00	23000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	274069.46	274069.46
राजस्व	Revenue	...	274065.82	274065.82
पूँजी	Capital	...	3.64	3.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	10798.28	(का)	10798.28
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(गंc)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	11732.17	(घd)	11732.17
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ङe)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	469.52	(चf)	469.52
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	23000.00		23000.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)5000.90		(-)5000.90

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निधि अंतरण। तदनुसार, वर्ष 2023-24 (प्रथम पूरक सहित) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निधि अंतरण; (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (4842.66 करोड़ रुपये), जिसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से समतुल्य वसूली से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2023-24 (प्रथम पूरक सहित) के दौरान राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त निधि 20985.52 करोड़ होगी।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Transfer of additional funds worth ₹ 6,000 crore to National Employment Guarantee Fund under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Accordingly, additional funds transferred to National Employment Guarantee Fund under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme during 2023-24 (including 1st Supplementary) would amount to ₹ 26,000 crore; (ii) Towards grants for creation of capital assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 4842.66 crore) which will be met with equivalent recoveries from National Employment Guarantee Fund. Accordingly, additional funds during 2023-24 (including 1st Supplementary) to be met from National Employment Guarantee Fund would amount to ₹ 20985.52 crore.

	इसमें 10,798.28 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा और शेष की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत में से की जाएगी।		This will entail cash outgo of ₹ 10,798.28 crore and the balance will be met out of the savings available in the same section of the grant.
(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 43.91 करोड़ रुपये अपेक्षित है।	(b)	₹ 43.91 crore is required for meeting expenditure related to National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।		Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(ग)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के रूप में 10.00 करोड़ रुपये। (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण हेतु अतिरिक्त व्यय के रूप में 300 करोड़ रुपये।	(c)	(i) ₹ 10.00 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (ii) ₹ 300 crore as additional expenditure towards Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।		Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(घ)	कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 12,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त अंतरण।	(d)	Additional transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund amounting to ₹ 12,000 crore.
	इसमें 2256.66 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा और शेष की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत में से की जाएगी।		This will entail cash outgo of ₹ 2256.66 crore and balance will be met out from savings available under same section of the grant.
(ङ)	(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1157.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जिसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से समतुल्य वस्तुओं से पूरा किया जाएगा। (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए 630.04 करोड़ रुपये का अनुदान, और (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए 90.00 करोड़ रुपये का अनुदान। (iv) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को (1813.80 करोड़ रुपए) का अंतरण।	(e)	(i) Meeting additional funds ₹ 1157.34 crore for meeting the statutory requirement of implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme which will be met with equivalent recoveries from National Employment Guarantee Fund; (ii) ₹ 630.04 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)- Rural; and (iii) ₹ 90.00 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna; (iv) Transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹ 1813.80 crore) towards financing of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।		Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(च)	(i) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए 0.01 करोड़ रुपये का अनुदान। (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए कृ. अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को (1813.80 करोड़ रुपए) का अंतरण।	(f)	(i) ₹ 0.01 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural; (ii)) Transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹ 170.59 crore) towards financing of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.
	इसमें 469.52 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा और शेष की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत में से की जाएगी।		This will entail cash outgo of ₹ 469.52 crore and balance will be met out from savings available under same section of the grant.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)
(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 119 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2417.97	2417.97
पूंजी	Capital	...	1.26	1.26
जोड़	Total	...	2419.23	2419.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	17.42	0.02	17.44
पूंजी	Capital
जोड़	Total	17.42	0.02	17.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1200.95	1200.95
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1200.95	1200.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17.42	3620.20	3637.62
राजस्व	Revenue	17.42	3618.94	3636.36
पूंजी	Capital	...	1.26	1.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	58.26	(क) 58.26
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms	...	0.01	(ख) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	1118.36	(ग) 1118.36
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	24.32	(घ) 24.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1200.95	1200.95

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	(-)212.35	(-)212.35
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)1491.29	(-)1491.29
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)35.91	(-)35.91
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)1739.55	(-)1739.55

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -वाटरशेड विकास घटक के तहत कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 212.35 करोड़ रुपये का अंतरण

अनुदान के सी भाग में उपलब्ध बचत और अतिरिक्त वसूली प्राप्त होने के कारण इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा

(ख) (i) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण,भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड रूम का आधुनिकीकरण, आरओआर का कंप्यूटीकरण इत्यादि की लागत के लिए राज्यों हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 44.48 करोड़ रुपये अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा ।

The supplementary Grants are required for:

(a) ₹ 212.35 crore towards transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.

Taking into account savings available in same Section of the Grant and additional recoveries this will not entail additional cash outgo.

(b) ₹ 44.48 crore as grants-in-aid general for States, being the cost of survey/resurvey, digitisation of land records, modernisation of record room, computerisation of RoR, etc. under 'Digital India Land Records Modernisation Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, it will not entail additional cash outgo.

(ग)	<p>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -वाटरशेड विकास घटक के तहत कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 1491.29 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण।</p> <p>वसूली के समतुल्य राशि प्राप्त होने के कारण इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा</p>	(c)	<p>₹ 1491.29 crore towards transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.</p> <p>As this will be matched by equivalent amount of recoveries, so it will not entail additional cash outgo.</p>
(घ)	<p>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -वाटरशेड विकास घटक के तहत कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 35.91 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण।</p> <p>वसूली के समतुल्य राशि प्राप्त होने के कारण इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा</p>	(d)	<p>₹ 35.91 crore towards transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.</p> <p>As this will be matched by equivalent amount of recoveries, so it will not entail additional cash outgo.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 120 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7843.95	7843.95
पूँजी	Capital	...	88.30	88.30
जोड़	Total	...	7932.25	7932.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7932.28	7932.28
राजस्व	Revenue	...	7843.97	7843.97
पूँजी	Capital	...	88.31	88.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सचिवालय व्यय के 'सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' में ₹ 4.33 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 4.33 करोड़ में से ₹ 3.90 करोड़ की राशि भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए है)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure to the tune of ₹ 4.33 crore in 'Information, Computer Telecommunications (ICT) equipment' of Secretariat Expenditure (including ₹ 3.90 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency fund of India).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 121 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2683.86	2683.86
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	2683.86	2683.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2683.88	2683.88
राजस्व	Revenue	...	2683.88	2683.88
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

i. स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता के तहत प्रतिबद्धताओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान (18.76 करोड़ रुपये) और ii. ग्लोबल-बायो 2023 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को प्रतिबद्धताओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एंसेंकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) commitments under Support to Autonomous R&D Institutions (₹ 18.76 crore) and (ii) commitments to Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) for conducting Global-Bio 2023 (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 123 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 123 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3418.07	3418.07
पूंजी	Capital	...	99.24	99.24
जोड़	Total	...	3517.31	3517.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1476.20	1476.20
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1476.20	1476.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4993.54	4993.54
राजस्व	Revenue	...	4894.29	4894.29
पूंजी	Capital	...	99.25	99.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	1476.20	1476.20
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	(-)1733.33	(-)1733.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) को 2333.33 करोड़ रुपये का अन्तरण

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 1733.33 करोड़ रुपये की वसूली राशि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;

The supplementary Grant is required for:

Transfer of ₹ 2333.33 crore to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK)

Taking into account the recoveries amounting to ₹ 1733.33 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 125 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1224.09	1224.09
पूँजी	Capital	...	1.06	1.06
जोड़	Total	...	1225.15	1225.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1225.17	1225.17
राजस्व	Revenue	...	1224.11	1224.11
पूँजी	Capital	...	1.06	1.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय संस्थानों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (20.00 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय संस्थानों के तहत पूँजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (20.00 करोड़ रुपये) (ख) सहायक सामग्री और वस्तुओं की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता के अधीन सामान्य सहायता अनुदान (30.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(a) Grant in aid General under National Institutes of (₹ 20.00 crore) and Grants for Creation of Capital Asset under National Institutes of (₹ 20.00 crore) (b) Grant in aid General under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 30.00 crore) .
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 126 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 126 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	6186.50	6187.10
पूँजी	Capital	0.40	6356.41	6356.81
जोड़	Total	1.00	12542.91	12543.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	586.32	586.32
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	586.33	586.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13129.26	13130.26
राजस्व	Revenue	0.60	6772.83	6773.43
पूँजी	Capital	0.40	6356.43	6356.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

(क) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (0.09 करोड़ ₹.), इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.) (₹. 0.04 करोड़), मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) (0.03 करोड़ ₹.), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एन.आर.एस.सी.) (0.50 करोड़ ₹.), भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई.आई.आर.एस.) (0.02 करोड़ ₹.) के लिए और समाल सैटलाइट लॉच विहीकल (एस.एस.एल.वी.) के तहत नए सेवा उपकरण (सामग्री एवं आपूर्ति - 0.20 करोड़ ₹., वृत्तिक प्रभार- 0.10 करोड़ ₹.) और इनसैट-3 उपग्रह (सामग्री एवं आपूर्ति - 1.00 करोड़ ₹., वृत्तिक प्रभार- ₹.1.50 करोड़ ₹.) के व्यय पूरा करने हेतु अनुदान के राजस्व खंड (स्वीकृत) को संवर्धित करने के लिए 0.01 करोड़ ₹. के सांकेतिक अनुपूरक अनुदान (सांकेतिक) की आवश्यकता है।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) जी.एस.एल.वी. मार्क-III सातत्य कार्यक्रम (चरण-1) (5 करोड़ ₹.) के लिए और (ii) जी.एस.एल.वी. मार्क-II सातत्य कार्यक्रम (चरण-1) के अंतर्गत नई उपकरण सेवा-भवन एवं संरचनाएं (₹. 2.75 करोड़) और (iii) मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.)-अवसंरचनागत आस्तियों (1.00 करोड़ ₹.) के व्यय के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards Grant in Aid General of Satish Dhawan Space Centre (₹ 0.09 crore), ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 0.04 crore), Master Control Facility (MCF) (₹ 0.03 crore), National Remote Sensing Centre (NRSC) (₹ 0.50 crore), Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) (₹ 0.02 crore) and for Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) (Materials & Supplies - ₹ 0.20 crore, Professional Charges - ₹ 0.10 crore) and INSAT 3 Satellites (Materials & Supplies - ₹ 1 crore, Professional Charges - ₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards (i) Machinery and Equipment for GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 5 crore) (ii) Buildings & Structures for GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 2.75 crore) and (iii) Infrastructural Assets for Master Control Facility (MCF) (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 130 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 130 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4362.53	4362.53
पूंजी	Capital	...	26.81	26.81
जोड़	Total	...	4389.34	4389.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4389.41	4389.41
राजस्व	Revenue	...	4362.58	4362.58
पूंजी	Capital	...	26.83	26.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रेशम उद्योग के विकास के तहत वेतन सहायता अनुभाग (4.94 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid Salaries (₹ 4.94 crore) under the Development of Silk Industries

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 132 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 132 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4905.91	7509.04	12414.95
पूँजी	Capital	...	46.93	46.93
जोड़	Total	4905.91	7555.97	12461.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.02	0.03
पूँजी	Capital
जोड़	Total	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4905.92	7556.02	12461.94
राजस्व	Revenue	4905.92	7509.08	12415.00
पूँजी	Capital	...	46.94	46.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(क) 0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(ख) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01 (ग)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) गैर-योजना "सचिवालय" के तहत 'वेतन' (₹0.42 करोड़), 'चिकित्सा उपचार' (₹0.10 करोड़), 'भत्ते' (₹0.27 करोड़), 'घरेलू यात्रा व्यय' (₹0.20 करोड़) 'कार्यालय व्यय' (₹1.60 करोड़), और 'लघु सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क्स' (₹0.15 करोड़).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता-1. 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)' योजना के तहत जीआईए-जनरल (₹10.00 करोड़), 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' (₹0.95 करोड़) 2. "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹0.19 करोड़) 3. 'एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति' योजना के तहत छात्रवृत्ति (₹30.00 करोड़), राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना' (₹0.04 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता- 1. "एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹401.79 करोड़) 2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)' (₹ 100.00 करोड़) [इसमें भारत की आकस्मिकता निधि (सीएफआई) से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए ₹100.00 करोड़ शामिल हैं]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Meeting the additional requirement for expenditure towards 'Salaries' (₹ 0.42 crore), 'Medical Treatment' (₹ 0.10 crore), 'Allowances' (₹ 0.27 crore), 'Domestic Travel Expenses' (₹ 0.20 crore) 'Office Expenses' (₹ 1.60 crore), and 'Minor Civil and Electric Works' (₹ 0.15 crore) under the Non- scheme "Secretariat" Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Additional requirement for expenditure-1. GiA-General under the scheme 'Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)' (₹ 10.00 crore), 'Aid to Voluntary Organization working for the welfare of Scheduled Tribes' (₹ 0.95 crore) 2. GiA Salaries under the scheme "Eklavya Model Residential School (EMRS) (₹0.19 crore) 3. Scholarship under the scheme 'National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students' (₹30.00 crore), ' National Overseas Scholarship Scheme' (₹0.04 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Additional requirement for expenditure- 1. Grants in aid General under the scheme " Post Matric Scholarship for STs" (₹ 401.79 crore) 2. Grants for creation of capital assets 'Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)' (₹ 100.00 crore) [This includes ₹100.00 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India (CFI)].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 133 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 133 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25943.67	25943.67
पूँजी	Capital	...	5.08	5.08
जोड़	Total	...	25948.75	25948.75
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	6.00	6.00
जोड़	Total	...	6.04	6.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	25954.82	25954.82
राजस्व	Revenue	...	25943.74	25943.74
पूँजी	Capital	...	11.08	11.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.90 करोड़ ₹.), (ii) मिशन वात्सल्य (1.50 करोड़ ₹.) (iii) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (6.70 करोड़ ₹.) के तहत सामान्य सहायता अनुदान अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (1) सामान्य सहायता अनुदान (i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (42.83 करोड़ रुपये), (ii) मिशन शक्ति - सामर्थ्य (शक्ति सदन - 5.00 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹ 0.20 करोड़) (2) पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - पीएम-जनमन के एसटी घटक के लिए (14.16 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - पीएम-जनमन के एसटी घटक के तहत पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (111.84 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General under (i) National Commission for Women (₹ 0.90 crore), (ii) Mission Vatsalya (₹ 1.50 crore) (iii) National Commission for Protection of Child Rights (₹ 6.70 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (1) Grants-in-aid General under (i) Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 (₹ 42.83 crore) (ii) Mission Shakti - Samarthyaa (Shakti Sadan - ₹ 5.00 crore), (iii) National Commission for Women (₹ 0.20 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets (i) Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 - ST Component under PM-JANMAN (₹ 14.16 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants for Creation of Capital Assets under Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 - ST Component for PM-JANMAN (₹ 111.84 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 135 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 135 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
	(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3389.56	3389.56
पूँजी	Capital	...	7.76	7.76
जोड़	Total	...	3397.32	3397.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3.71	3.71
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	3.71	3.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3401.04	3401.04
राजस्व	Revenue	...	3393.28	3393.28
पूँजी	Capital	...	7.76	7.76

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	3.70	(का) 3.70
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3.71	3.71

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) (1) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (सामान्य श्रेणी के तहत 8 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत 0.64 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 0.41 करोड़ रुपये), (2) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (सामान्य श्रेणी के तहत 4.04 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत 0.94 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 0.42 करोड़ रुपये) (3) खेलों में मानव संसाधन विकास (1 करोड़ रुपये) और (4) खेलो इंडिया (66.30 करोड़ रुपये) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, (ii) जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधा के संवर्धन के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (5 करोड़ रुपये), (iii) (1) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) (15 करोड़ रुपये), (2) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (2 करोड़ रुपये) और (3) खेलो इंडिया (1.80 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत विज्ञापन और प्रचार (1 करोड़ रुपये), (v) (1) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (2 करोड़ रुपये) और (2) खेलो इंडिया (2.20 करोड़ रुपये) के तहत व्यवसायिक सेवा, (vi) राष्ट्रीय खेल विकास निधियों के तहत अंशदान (30 करोड़ रुपये) और (vii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत कार्यालय व्यय (7 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूँजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

- (ख) (1) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 1 करोड़ रुपये), (2) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (0.60 करोड़ रुपये) और 3 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (1.80 करोड़ रुपये) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) GIA General under the scheme (1) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹8 crore under General category, ₹0.64 cr. under SC category & ₹0.41 cr. under ST category), (2) National Young Leaders Programme (₹4.04 crore under General category, ₹0.94 cr. under SC category & ₹0.42 cr. under ST category), (3) Human Resource Development in Sports (₹1 cr.) and (4) Khelo India (₹66.30 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Enhancement of Sports Facility at J&K (₹5 crore), (iii) Other Revenue Expenditure under the scheme (1) International Cooperation (IC) (₹15 crore), (2) National Service Scheme (₹2 crore) and (3) Khelo India (₹1.80 cr.), (iv) Advertising and Publicity under the National Service Scheme (₹1 crore), (v) Professional Service under (1) National Service Scheme (₹2 crore) and (2) Khelo India (₹2.20 cr.), (vi) Contribution under the National Sports Development Funds (₹30 crore) and (vii) Office Expenses under the National Service Scheme (₹7 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) GIA General under the scheme (1) National Service Scheme (₹1 crore under ST category), (2) National Young Leaders Programme (₹0.60 crore) and (3) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹1.80 cr.)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुलग्नक /Annexure

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
मांग संख्या 46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Demand No. 46 – Department of Health & Family Welfare
वर्ष 2023-24 के दौरान जहां पुनर्विनियोजन स्वीकृत सीमा से अधिक है, संसद को प्रस्तुत करने हेतु वांछित मदों
संबंधी रिपोर्ट को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved
limits during 2023-24

(करोड़ रुपए Rs. in Crore)

1	2	2	3	4	5	6
क्र.सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम	Name of the Scheme/ Programme	लेखा का उपशीर्ष/ वस्तु शीर्ष Sub Head/ Object Head of Account	बजट अनुमान Budget Estimates 2023-24	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण,	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission	3601.06.101.16	11580.09	2000.24	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए तन्त्रिक पूल		3602.06.102.04	3.53	12.11	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
3			3602.06.789-72	41.69	83.12	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
4			3602.06.796.66	6.95	31.38	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
5			2210.06.001.11.00.13	7.88	8.56	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
6	अवसंरचना संबंधी रखरखाव	Infrastructure Maintenance	3601.06.101.17	2646.88	85.01	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
			3602.06.101.82	134.81	19.67	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
7	एफडब्ल्यू - अवसंरचना संबंधी रखरखाव	FW – Infrastructure Maintenance	3601.06.789.05	1628.13	237.39	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
8	एफडब्ल्यू - अवसंरचना संबंधी रखरखाव (पीएमएसएसएन)	FW – Infrastructure Maintenance (PMSSN)	3601.06.789.85	1300.00	600.00	फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन के कारण Due to change in funding pattern.
9	एफडब्ल्यू - अवसंरचना संबंधी रखरखाव (टीएसपी)	FW – Infrastructure Maintenance (TSP)	3601.06.796.05	689.64	217.09	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)- आरएसएसवाई - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) – RSSY – National Health Protection Scheme	3601.06.101-19	100.00	81.20	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
11	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम	National Programme for Health Care for the Elderly	3601.06.101.21.04	3.00	5.24	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
12			3602.101.16.09.31	0.35	0.61	अधिक मांग के कारण Due to more demand.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	2	3	4	5	6
क्र.सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम	Name of the Scheme/ Programme	लेखा का उपशीर्ष/ वस्तु शीर्ष Sub Head/ Object Head of Account	बजट अनुमान Budget Estimates 2023-24	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
13	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	National Programme for Control of Blindness	3601.06.101.21.05	0.25	0.15	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
14	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	National Blindness Control Programme	3602.101.16.08.31	0.40	0.20	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
15	वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	Senior Citizens Health Insurance Scheme	3601.06.101.21.74	0.01	1.31	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
16	राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	Strengthening of State Drug Regulatory System	3602.06.101.12.00.31	2.00	14.20	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
17	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली	National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi	2210.06.101.07.01.13	12.62	3.36	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
18	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना	Central Government Health Scheme	2210.01.103.24.01.13	57.22	13.44	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
19	एयरपोर्ट संगठन सहित पोर्ट स्वास्थ्य संबंधी स्थापना	Port Health Establishment including Airport Organisation	2210.06.001.02.00.07	3.10	3.25	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
20	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई	All India Inst. of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai	2210.01.110.22.02.13	1.08	1.12	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
21	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	Safdarjung Hospital, New Delhi	2210.01.110.19.01.13	90.00	136.00	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
22			2210.01.110.19.01.27	75.00	30.00	अधिक मांग के कारण Due to more demand.
23	क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय	Regional Health Offices	2211.00.001.03.00.13	1.35	0.47	अधिक मांग के कारण Due to more demand.